

12 सितंबर, 2018 को कमरा नंबर 108, उद्योग भवन, नई दिल्ली में आयोजित की जाने वाली
अनुमोदन बोर्ड की 84वीं बैठक के लिए एजेंडा

मद संख्या 84.1 : औपचारिक अनुमोदनों की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए अनुरोध (3 प्रस्ताव)

14 सितंबर 2012 को आयोजित अपनी बैठक में अनुमोदन बोर्ड ने समान मामलों की जांच की तथा निम्नानुसार टिप्पणी की :

"अनुमोदन बोर्ड ने विकास आयुक्त को 5वें साल के बाद औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाने के अनुरोध की तभी सिफारिश करने की सलाह दी कि विकासक द्वारा परियोजना के प्रचालन के लिए पर्याप्त कदम उठाए गए हैं और वैधता अवधि पुनः बढ़ाया जाना उचित कारणों पर आधारित है। अनुमोदन बोर्ड ने यह भी टिप्पणी की कि नेमी मामले के रूप में वैधता अवधि बढ़ाई नहीं जा सकती है जब तक कि विकासक द्वारा जमीनी स्तर पर कुछ प्रगति नहीं की जाती है। इसलिए अनुमोदन बोर्ड ने विचार विमर्श के बाद पिछली बार बढ़ाई गई वैधता अवधि की समाप्ति की तिथि से औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि एक साल की अवधि के लिए 5वें साल के बाद तथा 6 माह की अवधि के लिए छठें वर्ष के बाद बढ़ाने के अनुरोधों को मंजूरी प्रदान की।"

84.1 (i) प्लॉट नंबर 8, सेक्टर 144, नोएडा, उत्तर प्रदेश में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 02 सितंबर, 2018 के बाद पुनः बढ़ाने के लिए मैसर्स गोल्डन टावर इनफोटेक प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

विकासक का नाम	: मैसर्स गोल्डन टावर इनफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड
क्षेत्र	: आईटी / आईटीईएस
स्थान	: प्लॉट संख्या 8, सेक्टर-144, नोएडा (उत्तर प्रदेश)
विस्तार	: विकासक को औपचारिक अनुमोदन 03 सितंबर, 2008 को प्रदान किया गया था। विकासक को 07 विस्तार प्रदान किए गए हैं, पिछला विस्तार वाणिज्य विभाग द्वारा पत्र दिनांक 14 दिसंबर, 2017 के माध्यम से प्रदान किया गया था जो 02 सितंबर, 2018 तक वैध था। विकासक ने 02 सितंबर, 2019 तक वैधता अवधि पुनः बढ़ाने के लिए अनुरोध किया है। अब यह एसईजेड अधिसूचित हो गया है।

वर्तमान प्रगति :

(क) व्यवसाय योजना का ब्यौरा :

क्र. सं.	लागत का प्रकार	प्रस्तावित निवेश (करोड़ रुपए में)
1	भूमि की लागत	74.55
2	निर्माण की लागत	350.00
3	प्लांट एवं मशीनरी	100.00
4	अन्य ऊपरी खर्च	50.00
	कुल :	574.55

(ख) अब तक किया गया निवेश तथा पिछली बार बढ़ाई गई वैधता अवधि के बाद किया गया वृद्धिमूलक निवेश :

क्र. सं.	लागत का प्रकार	अब तक किया गया कुल निवेश (करोड़ रुपए में)	पिछली बार बढ़ाई गई वैधता अवधि के बाद किया गया वृद्धिमूलक निवेश (करोड़ रुपए में)
1	भूमि की लागत	88.17	48.62
2	सामग्री का प्रापण	50.28	10.07
3	सेवा लागत	21.59	17.29
4	अन्य ऊपरी खर्च	16.79	9.26
	कुल :	176.83	85.24

(ग) अब तक की भौतिक प्रगति का विवरण :

क्र. सं.	अधिकृत गतिविधि	आज तक की तिथि के अनुसार पूर्ण होने का प्रतिशत	पिछले एक वर्ष के दौरान समाप्ति का प्रतिशत	शेष कार्य को पूरा करने की अंतिम समय सीमा
1.	पहला टॉवर जिसमें लगभग 8 लाख वर्ग फीट का स्थान है, का कार्य लगभग पूरा हो चुका है और लीज पर देने के लिए तैयार है। इस भवन में 02 बेसमेंट + भूतल + 8 तल हैं। चिलर, चिलर के लिए कंडेनसर पंप और प्राथमिक पंप स्थापित किए जा चुके हैं और सभी आवश्यक कनेक्शन किए गए हैं। एलटी पैनल लगाए जा चुके हैं और परीक्षण	96 प्रतिशत	22 प्रतिशत	दिसंबर 2018

	जारी है। डीजी स्थापित किए जा चुके हैं और परीक्षण शीघ्र ही किया जाएगा। स्विचयार्ड से जीटीआईपीएल परिसर में एचटी केबल लगाने का कार्य प्रगति पर है और शीघ्र ही पूरा हो जाएगा। अगवाड़ा का कार्य लगभग पूरा हो गया है तथा लैंडस्केप का कार्य प्रगति पर है। कैफेटेरिया ऑपरेटर का अंतिम रूप से चयन कर लिया गया है और ऑपरेटर के साथ एलओआई हस्ताक्षरित किया गया है।			
2.	दूसरे भवन के लिए लगभग 02 लाख वर्गफीट की खुदाई का काम पूरा हो गया है - 9 लाख वर्गफीट	2 प्रतिशत	0	अगस्त, 2019

वैधता अवधि बढ़ाने की मांग करने के कारण :

विकासक ने बताया है कि दुर्भाग्य से वैश्विक वित्तीय बाजार में भारी बदलाव तथा आईटी / आईटीईएस उद्योग में मंदी के कारण निर्धारित अवधि के अंदर परियोजना को पूरा करने में विलंब हो गया। इसके अलावा, विकासक ने बताया है कि मैसर्स इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड ने इस परियोजना के लिए 130 करोड़ रुपए का ऋण संस्वीकृत किया है तथा अब परियोजना के निर्माण का कार्य पूरे जोरों पर चल रहा है।

एसईजेड नियमावली 2006 के नियम 5 (7) के अनुसार, विकासक या सह विकासक को विशेष आर्थिक क्षेत्र की अधिसूचना की तिथि से 10 साल की अवधि के अंदर न्यूनतम निर्मित क्षेत्र (आईटी / आईटीईएस एसईजेड के मामले में 100000 वर्गमीटर) का निर्माण करना होगा जिसमें ऐसे क्षेत्र का कम से कम 50 प्रतिशत का निर्माण अधिसूचना की तिथि से 5 साल की अवधि के अंदर करना होगा। वर्तमान मामले में अधिसूचना की तिथि से अब तक लगभग साढ़े नौ साल बीत गए हैं। हालांकि, विकासक ने सूचित किया है कि उन्होंने पहले भवन के कुल निर्माण क्षेत्र के लगभग 8 लाख वर्गफीट (74322 वर्गमीटर) का निर्माण पूरा कर लिया है और अगस्त 2019 तक दूसरे भवन का लगभग 9 लाख वर्ग फीट (लगभग 83612 वर्गमीटर) का निर्माण करने का प्रस्ताव किया है। विकासक द्वारा अधिसूचना की तारीख से 10 वर्ष की अवधि के भीतर अर्थात् दिनांक 7 दिसंबर, 2018 तक 100000 वर्गमीटर के न्यूनतम निर्धारित क्षेत्र को पूरा करना आवश्यक है।

एसईजेड नियमावली, 2006 के नियम 5 (7) में छूट और समय सीमा में विस्तार के लिए मैसर्स मायर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्राइवेट लिमिटेड के इसी तरह के अनुरोध को अनुमोदन बोर्ड की 83 वीं बैठक के

समक्ष प्रस्तुत किया गया था। बोर्ड ने मामले को माननीय सीआईएम के विचारार्थ प्रस्तुत करने की सिफारिश की। अनुरोध को मंजूरी प्रदान नहीं की गई।

विकास आयुक्त की सिफारिश :

विकास आयुक्त, एनएसईजेड ने 2 सितंबर, 2019 तक एक साल की अवधि के लिए मैसर्स गोल्डन टावर इनफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड के एलओए की अवधि बढ़ाने के अनुरोध की सिफारिश की है।

विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत है।

84.1 (ii) ग्राम बेहरामपुर, तहसील सोहना, जिला गुड़गांव, हरियाणा में इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर और आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 13 नवंबर, 2018 के बाद पुनः बढ़ाने के लिए मैसर्स जीपी रियाल्टर्स प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

विकासक का नाम	: मैसर्स जीपी रियाल्टर्स प्राइवेट लिमिटेड
क्षेत्र	: आईटी / आईटीईएस एण्ड इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर
स्थान	: ग्राम बेहरामपुर, जिला गुड़गांव, हरियाणा
विस्तार	: विकासक को औपचारिक अनुमोदन 14 नवंबर, 2006 को प्रदान किया गया था। विकासक को 09 विस्तार प्रदान किए गए हैं, पिछला विस्तार 17 नवंबर, 2017 को आयोजित बैठक में अनुमोदन बोर्ड द्वारा प्रदान किया गया था जो 13 नवंबर 2018 तक वैध था। विकासक ने 13 नवंबर, 2019 तक वैधता अवधि पुनः बढ़ाने के लिए अनुरोध किया है। अब यह एसईजेड अधिसूचित हो गया है।

वर्तमान प्रगति :

(क) व्यवसाय योजना का ब्यौरा :

क्र. सं.	लागत का प्रकार	प्रस्तावित निवेश (लाख रुपए में)
1	भूमि की लागत	16,725.00
2	निर्माण की लागत	2,43,275.00
3	प्लांट एवं मशीनरी	-
4	अन्य ऊपरी खर्च	-

	कुल :	2,60,000.00
--	-------	-------------

(ख) अब तक किया गया निवेश तथा पिछली बार बढ़ाई गई वैधता अवधि के बाद किया गया वृद्धिमूलक निवेश :

क्र. सं.	लागत का प्रकार	अब तक किया गया कुल निवेश (लाख रुपए में)	पिछली बार बढ़ाई गई वैधता अवधि के बाद किया गया वृद्धिमूलक निवेश (लाख रुपए में)
1	भूमि की लागत	16,725	-
2	सामग्री का प्रापण	31,847	10,583
3	प्लांट एवं मशीनरी	-	-
4	अन्य ऊपरी खर्च	-	-
	कुल	48,572	10,583

(ग) अब तक की भौतिक प्रगति का विवरण :

क्र. सं.	अधिकृत गतिविधि	आज तक की तिथि के अनुसार पूर्ण होने का प्रतिशत	पिछले एक वर्ष के दौरान समाप्ति का प्रतिशत	शेष कार्य को पूरा करने की अंतिम समय सीमा
3.	फेज 1 के भवन का ब्लॉक 1	100 प्रतिशत	10 प्रतिशत	पूरा हो गया है
4.	फेज 2 के भवन का ब्लॉक 1	95 प्रतिशत	42 प्रतिशत	दिसंबर, 2018
5.	चारदीवारी	100 प्रतिशत	0 प्रतिशत	पूरा हो गया है
6.	सीमा शुल्क कार्यालय	95 प्रतिशत	55 प्रतिशत	दिसंबर, 2018
7.	लैन्डस्केप वर्क	90 प्रतिशत	80 प्रतिशत	अविरत

वैधता अवधि बढ़ाने की मांग करने के कारण :

विकासक ने बताया है कि वे 2019 के पूर्वार्ध तक एसईजेड 1 के चरण 1 के 14.5 लाख वर्गफीट के भवन का निर्माण करने एवं क्रियाशील बनाने का प्रयास कर रहे हैं। संपूर्ण एसईजेड -1 के विकास के लिए 2600 करोड़ रुपए की भावी निवेश योजना के साथ चरण 1 के भवन के निर्माण पर 300 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश किया जाएगा। वे जी.पी. रियल्टर्स के एसईजेड -1 के विकास के लिए प्रतिबद्ध हैं और सभी आवश्यक अनुमोदन प्राप्त कर चुके हैं और 14.5 लाख वर्ग फुट के पहले भवन के निर्माण को पूरा करने के लिए कदम उठाए गए हैं।

एसईजेड नियमावली 2006 के नियम 5 (7) के अनुसार, विकासक या सह विकासक को एसईजेड की अधिसूचना की तिथि से 10 साल की अवधि के अंदर न्यूनतम निर्मित क्षेत्र (100000 वर्गमीटर) जैसा इस नियम में कहा गया है की निर्माण करना होगा जिसमें ऐसे क्षेत्र का कम से कम 50 प्रतिशत का निर्माण अधिसूचना की तिथि से 5 साल की अवधि के अंदर करना होगा। वर्तमान मामले में अधिसूचना की तिथि से अब तक लगभग 9 साल बीत गए हैं। विकासक ने उल्लेख किया है कि पिछले विस्तार के बाद से कंपनी ने लगभग 12 लाख वर्ग फीट (लगभग 111484 वर्गमीटर) के दो ब्लॉकों का निर्माण किया था।

विकास आयुक्त की सिफारिश :

विकास आयुक्त, एनएसईजेड ने 13 नवंबर, 2019 तक एक साल की अवधि के लिए एलओपी की अवधि बढ़ाने के अनुरोध की सिफारिश की है।

अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के समक्ष विचार करने के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत है।

84.1 (vi) ग्राम हिंजेवाड़ी और मान, तालुका मुलशी, पुणे, महाराष्ट्र में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 26 अगस्त, 2017 के बाद पुनः बढ़ाने तथा विकासक संस्था की शेयर होल्डिंग के पैटर्न में परिवर्तन के लिए मैसर्स कुमार बिल्डर्स टाउनशिप वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

विकासक का नाम : कुमार बिल्डर्स टाउनशिप वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड

क्षेत्र : आईटी / आईटीईएस

लोकेशन : गाँव हिंजेवाड़ी और मान, तालुक मूली, पुणे, महाराष्ट्र

विस्तार : विकासक को औपचारिक अनुमोदन 28 अगस्त, 2006 को प्रदान किया गया था। विकासक को 08 विस्तार प्रदान किए गए हैं तथा आखिरी विस्तार की वैधता अवधि 26 अगस्त, 2017 तक थी। अब यह एसईजेड अधिसूचित हो गया है।

व्यापार की योजना

(क) अब तक किया गया निवेश :

विकासक ने अब तक एसईजेड में 426.45 करोड़ रुपए का निवेश किया है। इस निवेश का ब्यौरा इस प्रकार है :

क्र. नहीं	लागत का प्रकार	अब तक किया गया कुल निवेश (करोड़ रुपए में)	पिछली बार बढ़ाई गई वैधता अवधि के बाद किया गया वृद्धिमूलक निवेश (करोड़ रुपए में)
1	भूमि की लागत	368.00	शून्य
2	निर्माण और अन्य लागत	58.45	शून्य
	कुल	426.45	शून्य

(ख) प्रस्तावित निवेश (अपेक्षित अतिरिक्त निवेश) :

अगले 4 वर्षों में परियोजना के लिए 636.45 करोड़ रुपए के कुल निवेश की आवश्यकता होगी। एसईजेड के विकास के लिए विस्तृत व्यवसाय योजना निम्नानुसार है :

क्र. सं.	लागत का प्रकार	प्रस्तावित निवेश (करोड़ रुपए में)
1	निर्माण और अन्य लागत	526.45
2	प्रीमियम (आईटी)	50.00
3	परामर्श शुल्क	10.00
4	प्रशासन व्यय	25.00
5	विपणन व्यय	25.00
	कुल	636.45

(ग) परियोजना का वित्त पोषण :

विकासक ने बताया है कि आंतरिक प्रोद्भवन एवं बैंकों से मियादी ऋण द्वारा परियोजना की लागत का वित्त पोषण किया जाएगा।

भौतिक प्रगति का ब्यौरा

अब तक की भौतिक प्रगति का ब्यौरा इस प्रकार है :

क्र. सं.	गतिविधि	पूरा होने का प्रतिशत	पिछले विस्तार के बाद पूरा होने का प्रतिशत	शेष कार्य के पूरा होने की अनुमानित अंतिम तिथि
----------	---------	----------------------	---	---

1	चारदीवारी	55 प्रतिशत	शून्य	मार्च, 2022
2	इंक्वैबेशन सेंटर का अनुभाजन	50 प्रतिशत	शून्य	मार्च, 2022
3	बिल्डिंग डी के लिए दूसरा स्लैब	20 प्रतिशत	शून्य	मार्च, 2022

विकासक नवंबर 2023 तक एसईजेड को क्रियाशील बनाना चाहता है। अनुमोदन बोर्ड ने दिनांक 23.02.2016 को आयोजित अपनी 69वीं बैठक में विकासक को 27.08.2017 तक औपचारिक अनुमोदन का विस्तार इस शर्त के साथ प्रदान किया कि समय सीमा के भीतर परियोजना कार्यान्वित नहीं होने की स्थिति में अनुमोदन रद्द कर दिया जाएगा।

विकासक ने बताया है कि सॉल्लिटेयर समूह के भाग क्लासिक होटल मैनेजमेंट (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड ('क्लासिक होटल') ने अनुमोदन बोर्ड के अनुमोदन के अध्यक्षीन केबीटीवीपीएल के 88.6 % शेयर खरीदने के लिए सहमत दे दी है। इस संबंध में, क्लासिक होटल के साथ शेयर क्रय करार पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

शेयर होल्डिंग का मौजूदा पैटर्न :

शेयर होल्डिंग का नाम (मताधिकार के साथ इक्विटी शेयर)	धारित शेयरों की संख्या	धारित शेयरों का अंकित मूल्य (रुपए में)	प्रतिशत
कूमार अर्बन डवलपमेंट प्राइवेट लिमिटेड	1,46,19,380	10	61.33
ललितकुमार केशरीमल जेन	65,00,000	10	27.27
एलएसओ सबको नंबर 4 कंपनी	23,54,158	10	9.88
एलआरईएफ सबको नंबर 4	3,63,234	10	1.52
कुल	2,38,36,772		100

शेयर होल्डिंग का प्रस्तावित पैटर्न

शेयर होल्डिंग का नाम (मताधिकार के साथ इक्विटी शेयर)	धारित शेयरों की संख्या	धारित शेयरों का अंकित मूल्य (रुपए में)	प्रतिशत
अतुल अशोक चोरडिया (क्लासिक होटल मैनेजमेंट (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड के नामित शेयरधारक)	1	10	0.01

क्लासिक होटल मैनेजमेंट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	2,11,19,379	10	88.59
एलएसओ सबको नंबर 4 कंपनी	23,54,158	10	9.88
एलआरईएफ सबको नंबर 4	3,63,234	10	1.52
कुल	2,38,36,772		100

विकासक ने बताया है कि विश्व स्तरीय आईटी / आईटीईएस एसईजेड का विकास करने के लिए सॉल्यूटियर ग्रुप के पास आवश्यक क्षमता एवं अनुभव है और इसकी सफलता सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। इसके अलावा, क्लासिक होटल शेयर क्रय करार के माध्यम से तकरीबन 368 करोड़ रुपए कस निवेश कर चुका है।

विवरण	31 मार्च, 2017 की स्थिति के अनुसार मूल्य
निवल मूल्य	92,53,36,072 रुपए
आरक्षित निधि एवं आधिक्य	82,53,36,072.28 रुपए
नकद और नकद समतुल्य	6,68,76,516.25 रुपए

19 जून, 2018 को आयोजित 83वीं बैठक में अनुमोदन बोर्ड द्वारा प्रस्ताव पर विचार किया गया। अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि 23 फरवरी 2016 को आयोजित अपनी 69वीं बैठक में अनुमोदन बोर्ड ने निदेश दिया था कि यदि 26 अगस्त 2017 तक परियोजना लागू नहीं की जाती है तो एलओए निरस्त कर दिया जाए। विचार विमर्श के बाद, अनुमोदन बोर्ड ने प्रस्ताव को अस्वीकार करने का निर्णय लिया।

विकास आयुक्त की सिफारिश :

26 अगस्त, 2017 के बाद औपचारिक अनुमोदन की अवधि बढ़ाने और शेयर होल्डिंग के पैटर्न में परिवर्तन के लिए विकासक का प्रस्ताव किया गया है और विचार करने के लिए अनुमोदन बोर्ड के समक्ष रखने की सिफारिश की गई है।

अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के समक्ष विचार के लिए प्रस्तुत है।

मद संख्या 84.2 : तीसरे साल के बाद एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए अनुरोध (7 प्रस्ताव)

- एसईजेड नियमावली के नियम 18 (1) के अनुसार, अनुमोदन समिति विशेष आर्थिक क्षेत्र में यूनिट स्थापित करने के प्रस्ताव को अनुमोदित या अस्वीकार कर सकती है।

- एसईजेड में यूनिटों के संबंध में मंजूरी पत्र (एलओपी) की वैधता अवधि बढ़ाने के मामले एसईजेड नियमावली के नियम 19 (4) द्वारा अभिशासित हैं।
- नियम 19 (4) यह कहता है कि एलओपी एक साल की अवधि के लिए वैध होगा। पहला परंतुक अधिक से अधिक दो साल के लिए एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए विकास आयुक्तों को अधिकार प्रदान करता है। दूसरा परंतुक विकास आयुक्त को एक साल की अगली अवधि के लिए वैधता अवधि बढ़ाने का अधिकार प्रदान करता है, परंतु शर्त यह है कि यूनिट की स्थापना से संबंधित निर्माण सहित दो तिहाई कार्य पूरा हो गया है और उद्यमी द्वारा किसी सनदी इंजीनियर से इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाता है।
- तीसरे वर्ष के बाद (ऐसे मामलों में जहां दो तिहाई गतिविधियां पूरी नहीं हुई हैं) तथा चौथे वर्ष के बाद वैधता अवधि अनुमोदन बोर्ड द्वारा बढ़ाई जाती है।
- अनुमोदन बोर्ड एक बार में एक साल की अवधि के लिए वैधता अवधि बढ़ा सकता है।
- अनुमोदन बोर्ड द्वारा वैधता अवधि बढ़ाने की कोई समय सीमा नहीं है।

84.2 (i) 6 माह की अगली अवधि के लिए अर्थात् 12 दिसंबर, 2018 तक मंजूरी पत्र (एलओपी) की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मैसर्स क्यू3 इंफोटेक प्राइवेट लिमिटेड जो ग्राम कलवारा, तहसील सांगनेर, जयपुर में महिंद्रा वर्ल्ड सिटी (जयपुर) लिमिटेड के बहु उत्पाद एसईजेड की यूनिट है, का अनुरोध

- एलओए जारी करने की तिथि : 13 जून, 2014
- यूनिट के व्यवसाय का स्वरूप : आईटी / आईटीईएस अर्थात् साफ्टवेयर विकास
- विस्तार की संख्या : 12 जून, 2018 तक 3 (तीन)
- एलओए कब तक वैध है : 12 जून, 2018
- अनुरोध : 6 माह के लिए 12 दिसंबर, 2018 तक वैधता अवधि पुनः बढ़ाने के लिए।

वर्तमान प्रगति :

(क) व्यवसाय योजना का ब्यौरा :

क्र. सं.	लागत का प्रकार	प्रस्तावित निवेश (करोड़ रुपए में)
1	भूमि की लागत	1.94
2	निर्माण की लागत	1.55
3	प्लांट एवं मशीनरी	0.15
4	अन्य ऊपरी खर्च	1.20

कुल	4.84
-----	------

(ख) अब तक किया गया वृद्धिमूलक निवेश तथा पिछली बार बढ़ाई गई वैधता अवधि के बाद किया गया वृद्धिमूलक निवेश :

क्र. के ए ल	लागत का प्रकार	अब तक किया गया कुल निवेश (करोड़ रुपए में)	पिछली बार बढ़ाई गई वैधता अवधि के बाद किया गया वृद्धिमूलक निवेश (करोड़ रुपए में)
1(ग) अ	भूमि की लागत	1.94	शून्य
2 ब	सामग्री का प्रापण	1.55	1.15
3. (घ) त	सेवा लागत	0.0262	0.0262
4 क	अन्य ऊपरी खर्च	0.6545	0.6545
	कुल	4.1707	1.8307

(ग)

अब तक की भौतिक प्रगति का विवरण :

क्र. सं.	अधिकृत गतिविधि	आज तक की तिथि के अनुसार पूर्ण होने का प्रतिशत	पिछले एक वर्ष के दौरान कितने प्रतिशत काम पूरा हुआ	शेष कार्य को पूरा करने की अंतिम समय सीमा
1	बिल्डिंग का निर्माण	100 प्रतिशत	33.33 प्रतिशत	एनए
2	आंतरिक कार्य	50 प्रतिशत	50 प्रतिशत	12.12.2018
3	प्लांट एवं मशीनरी	50 प्रतिशत	50 प्रतिशत	12.12.2018

विलंब के विस्तृत कारण :

यूनिट ने बताया है कि वित्तीय बोझ और योजना तथा निर्माण जटिलताओं के कारण, वे 12.06.2018 तक विस्तारित समय सीमा के भीतर परिचालन शुरू करने में सक्षम नहीं थे। इसके अलावा, यूनिट ने उल्लेख किया है कि अब उन्होंने परियोजना के निष्पादन की योजना को अंतिम रूप दे दिया है और निर्माण पूरी तरह से चल रहा है जिसके परिणामस्वरूप निर्माण का 100% पूरा हो चुका है तथा आंतरिक कार्य और पूंजीगत माल की संस्थापना के लगभग 50% कार्य पूरा हो चुका है। यूनिट ने सेवा कार्यकलापों की शुरुआत के लिए दिनांक 12.12.2018 तक की समयसीमा का उल्लेख किया है।

		गए कार्य का प्रतिशत	किए गए कार्य का प्रतिशत	गए कार्य का प्रतिशत	किए गए कार्य का प्रतिशत	विस्तार से)
1.	इंजीनियरिंग	100 प्रतिशत	0 प्रतिशत	100 प्रतिशत	0 प्रतिशत	0.00 प्रतिशत
2.	प्रापण	98.8 प्रतिशत	0.2 प्रतिशत	99.9 प्रतिशत	0.1 प्रतिशत	0.10 प्रतिशत
3.	निर्माण	98.1 प्रतिशत	1.9 प्रतिशत	98.7 प्रतिशत	1.3 प्रतिशत	0.60 प्रतिशत
	समग्र	99.3 प्रतिशत	0.7 प्रतिशत	99.6 प्रतिशत	0.4 प्रतिशत	0.30 प्रतिशत

(ख) किए गए निवेश की दृष्टि से प्रगति :

यूनिट में एलओए की अवधि पिछली बार बढ़ाए जाने के समय पर 5225 करोड़ रुपए का निवेश किया था तथा अब तक किया गया निवेश 5603 करोड़ रुपए है। यूनिट अब परियोजना को पूरा करने के लिए निवेशक से 540 करोड़ रुपये के और निवेश की उम्मीद कर रही है।

(ग) एलओए की पिछली बार बढ़ाई गई अवधि से प्राप्त कुछ मील पत्थर :

क्र. सं.	पैकेज	पूरा करने का लक्ष्य
1.	इंसुलेशन एवं पेंटिंग	हो गया है
2.	आईएसबीएल - पीटीए यूनिट का यांत्रिक दृष्टि से पूरा होना	यांत्रिक समाप्ति हो गया है
3.	कमीशनिंग ट्रायल	हो गया है
4.	हो गया है	6 बैगिंग मशीन
5.	प्रायोगिक संचालन के लिए तैयार हैं	कमीशंड
6.	एफडब्ल्यू सिस्टम	कमीशंड
7.	वाणिज्यिक उत्पादन	25.03.2019

विलंब के कारण :

- (i) परियोजना इनविस्टा (डू पॉट) द्वारा प्रदान की गई प्रौद्योगिकी से शुरू की गई। एक साल बाद ब्रिटिश पेट्रोलियम ने अपनी श्रेष्ठ अधुनातन प्रौद्योगिकी की बिक्री करने का प्रस्ताव किया जिसे यूनिट ने स्वीकार कर लिया।

- (ii) यूनिट को कुछ आयातित एवं देशज उपकरण / मशीनरी की आपूर्ति में अत्यधिक विलंब का सामना करना पड़ा है। इनमें से कुछ, एलएंडटी द्वारा आईआर संबंधी समस्याओं से बचने के लिए अर्धपूर्ण वेसल को किसी अन्य स्थान पर स्थानांतरित करने के बावजूद एल एंड टी से सबसे महत्वपूर्ण टाइटेनियम क्लैडेड डिस्टिलेशन कॉलम में आईआर समस्याओं (स्ट्राइक) की वजह से 6 महीने से अधिक का विलंबित हुआ। अंत में मानसून से पहले वेजल स्थल पर पहुंचा, जिससे पाइपिंग में देरी के बाद वेजल के उत्थापन में और देरी हुई।
- (iii) इसी तरह दक्षिण कोरिया के टीएसएम से रिएक्टर, मंदर प्लांट का हर्थ प्राप्त करने में 6 माह से अधिक विलंब हुआ क्योंकि कंपनी बीमार हो गई तथा बंद कर दी गई। उनका रिएक्टर काफी विलंब के साथ टीएसएम द्वारा निर्मित आखिरी वेजल था।
- (iv) कर्नाटक सरकार द्वारा परियोजना विस्थापित परिवार नामक योजना के तहत भर्ती किए गए कर्मचारियों की दो माह की हड़ताल
- (v) इसके अलावा संविदा कर्मचारियों की कम आपूर्ति के कारण इकाई ने लगभग 1 माह का समय गंवा दिया।
- (vi) बैंकरों / कंसोर्टियम द्वारा भुगतान रिलीज करने में देरी।

विकास आयुक्त, मंगलौर एसईजेड ने एसईजेड नियमावली 2006 के नियम 19 (4) के तीसरे परंतुक के तहत एक साल के लिए 15 सितंबर 2019 तक एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए यूनिट के अनुरोध की सिफारिश की है।

अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के समक्ष विचार के लिए प्रस्तुत है।

84.2 (iii) 27 जुलाई, 2018 के बाद 27 जुलाई, 2019 तक एक साल के लिए अनुमति पत्र (एलओपी) की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मैसर्स टेंपल पैकेजिंग प्राइवेट लिमिटेड जो इंदौर एसईजेड की यूनिट है, का अनुरोध

- एलओए जारी करने की तिथि : 28 जुलाई, 2014
- यूनिट के व्यवसाय का स्वरूप : एचडीपीई कंटेनरों, सीआरसी और सीटीसी का विनिर्माण (स्कू टाइप) क्लोजर)।
- विस्तार की संख्या : 27 जुलाई, 2018 तक 3 (तीन)
- एलओए कब तक वैध है : 27 जुलाई, 2018
- अनुरोध : 27 जुलाई, 2019 तक एक साल के लिए वैधता अवधि पुनः बढ़ाने के लिए

(क) व्यवसाय योजना का ब्यौरा :

क्र.	लागत का प्रकार	प्रस्तावित निवेश (करोड़ रुपए में)
1	भूमि	1.65
2	साइट विकास तथा भवन निर्माण	23.40
3	विद्युत इंस्टालेशन सहित संयंत्र और	15.00

	मशीनरी	
4	पूर्व-संचालन व्यय / अन्य विविध सीएपीईएक्स	1.00
	कुल	41.05

(ख) अब तक किया गया वृद्धिमूलक निवेश तथा पिछली बार बढ़ाई गई वैधता अवधि के बाद किया गया वृद्धिमूलक निवेश :

क्र. सं.	लागत का प्रकार	अब तक किया गया कुल निवेश (करोड़ रुपए में)	पिछली बार बढ़ाई गई वैधता अवधि के बाद किया गया वृद्धिमूलक निवेश (करोड़ रुपए में)
1	भूमि	1.66	0.00
2	साइट विकास तथा भवन निर्माण	22.45	11.46
3	विद्युत इंस्टालेशन सहित संयंत्र और मशीनरी	7.06	6.77
4	पूर्व-संचालन व्यय / अन्य विविध (ग) अ	0.45	0.12
	ब कुल	31.62	18.35

(ग) अब तक की भौतिक प्रगति का विवरण :

क्र. सं.	अधिकृत गतिविधि	आज तक की तिथि के अनुसार पूर्ण होने का प्रतिशत	पिछले एक वर्ष के दौरान कितने प्रतिशत काम पूरा हुआ	शेष कार्य को पूरा करने की अंतिम समय सीमा
1	भूमि	100 प्रतिशत	--	--
2	स्थल विकास	95 प्रतिशत	20 प्रतिशत	1 माह
	भवन निर्माण	95 प्रतिशत	15 प्रतिशत	1-2 माह
3	विद्युत इंस्टालेशन सहित संयंत्र और	47 प्रतिशत	45 प्रतिशत	5-6 माह

	मशीनरी			
4.	पूर्व-संचालन व्यय / अन्य विविध सीएपीईएक्स	45 प्रतिशत	12 प्रतिशत	5-6 माह
	कुल	77.03 प्रतिशत		

विलंब के विस्तृत कारण :

कंपनी की इंदौर एसईजेड यूनिट के पूरा होने के चरण में है, लेकिन नीचे वर्णित कारण की वजह से, कंपनी मंजूरी पत्र (एलओए) की वैधता की तारीख से पहले अर्थात् 27.07.2018 तक वाणिज्यिक उत्पादन नहीं कर सकती थी।

फार्मा सहायक परियोजना होने के नाते, कंपनी को यूएसएफडीए मानदंडों, जो फार्मा कंपनियों द्वारा आवश्यक है, के अनुपालन में भवन और सिविल निर्माण गतिविधियों को पूरा करने में बहुत लंबा समय लगा। इसके अलावा, चूंकि मशीनें तकनीकी रूप से बहुत उन्नत हैं, इसलिए मशीनों के चयन, विमार-विमर्श और वार्ता में काफी लंबा समय लगा। इसके अलावा, इन मशीनों के आपूर्तिकर्ता की ओर से डिलीवरी की समय-सारणी बहुत लंबी है। इस प्रकार, मशीनों की डिलीवरी और उत्थापन में अधिक समय लगता है।

इसके अलावा, विभिन्न सरकारी विभाग से ली गई उपरोक्त सभी अनुमति, अनुमोदन और पंजीकरण में बहुत समय लगा और इसके बाद कंपनी ने परियोजना को कार्यान्वित करने की शुरुआत की। वर्तमान में, कंपनी ने प्लॉट नं ए-4, इंदौर एसईजेड, चरण II, पीथमपुर में निर्माण गतिविधि पूरी कर ली है तथा प्लॉट एवं मशीनरी और उपकरणों की संस्थापना की साथ शुरुआत कर दी है।

कंपनी एक वर्ष के लिए अनुरोध की गई आगे की अवधि के दौरान अगले 3-4 महीनों के भीतर प्रायोगिक संचालन शुरू करने के लिए, यूएसएफडीए से अनुमोदन प्राप्त करने और साथ ही ऑडिट करने के लिए संभावित ग्राहकों को आमंत्रित करने तथा निर्माण सुविधा के सत्यापन के लिए पूरा प्रयास करेगी।

विकास आयुक्त की सिफारिश :

विकास आयुक्त, इंदौर एसईजेड ने 27 जुलाई, 2019 तक एक साल की अवधि के लिए एलओपी की अवधि बढ़ाने के अनुरोध की सिफारिश की है।

अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के समक्ष विचार के लिए प्रस्तुत है।

84.2 (iv) छठें वर्ष के बाद एक साल के लिए 7 सितंबर -09 तक मंजूरी पत्र (एलओए) की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मैसर्स बेंजो केम इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड जो ग्राम लखीगाम, तालुक वागरा, जिला भडूच, गुजरात में दाहेज एसईजेड भाग 2 में प्लॉट नंबर जेड / 103 / डी पर स्थापित यूनिट है, का अनुरोध

- एलओए जारी किया गया : 08 सितंबर, 2011
- यूनिट के व्यवसाय का स्वरूप : विभिन्न प्रकार के विशिष्ट रसायनों का निर्माण
- विस्तार की संख्या : 07 सितंबर, 2018 तक 6 (छः)
- एलओए कब तक वैध है : 07 सितंबर, 2018
- अनुरोध : एक साल के लिए 07 सितंबर, 2019 तक वैधता अवधि पुनः बढ़ाने के लिए।

वर्तमान प्रगति

व्यवसाय योजना का ब्यौरा :

क्र. नहीं	लागत का प्रकार	प्रस्तावित निवेश (करोड़ रुपए में)
1	भूमि	5.97
2	भूमि विकास और फैक्टरी भवन	47.00
3	प्लांट एवं मशीनरी	70.00
4	यूटिलिटी, सुरक्षा उपकरण	8.50
5	ईटीपी सिस्टम	6.50
6	पाइपिंग उत्थापन आदि	10.50
7	विविध	1.53
	कुल	150.00

पिछली वृद्धिमूलक राशि 17.99 करोड़ रुपए

अब तक किया गया वृद्धिमूलक निवेश तथा पिछली बार बढ़ाई गई वैधता अवधि के बाद 30 जून, 2018 तक किया गया वृद्धिमूलक निवेश : 60.33 करोड़ रुपए

क्र. सं.	लागत का प्रकार	अब तक (30 जून, 2018)	पिछली बार बढ़ाई गई वैधता
----------	----------------	----------------------	--------------------------

		तक) किया गया कुल निवेश (80.00 करोड़ रुपए)	अवधि के बाद किया गया वृद्धिमूलक निवेश (करोड़ रुपए में)
1	पूंजी कार्य प्रगति पर	64.60	52.48
2	पूंजी माल के लिए अग्रिम	8.15	6.53
3	अन्य व्यय	5.30	1.10
4	अन्य परिसंपत्तियां	0.35	0.34
5	जमा	1.60	1.56
	कुल	80.00	62.01

अब तक की भौतिक प्रगति का विवरण :

क्र. सं.	गतिविधियां	30 जून, 2018 की स्थिति के अनुसार समाप्ति का प्रतिशत	एलओए की वैधता अवधि बढ़ाने के बाद पिछले 9 माह के दौरान समाप्ति का प्रतिशत	शेष कार्य को पूरा करने की अंतिम समय सीमा
1	काम्पाउण्ड वॉल	100 प्रतिशत	-	पूरा हो गया है
2	भूमि का भराव	100 प्रतिशत	-	पूरा हो गया है
3	सुरक्षा भवन और वाटर की टैंक	100 प्रतिशत	-	पूरा हो गया है
4	विनिर्माण संयंत्र, वेयर हाउस, यूटिलिटी भवन, टैंक फार्म, प्रशासनिक भवन भवन	85 प्रतिशत	30 प्रतिशत	सितंबर, 2018
5	विविध उपकरणों के लिए निविदा प्रक्रिया तथा आर्डर देना	95 प्रतिशत	10 प्रतिशत	अगस्त, 2018
6	विद्युत कार्य	15 प्रतिशत	10 प्रतिशत	नवंबर, 2018
7	यूटिलिटीज	40 प्रतिशत	20 प्रतिशत	सितंबर, 2018
8	ईटीपी	5 प्रतिशत	5 प्रतिशत	अक्टूबर, 2018
9	प्लांट इंस्टालेशन वर्क	65 प्रतिशत	65 प्रतिशत	नवंबर, 2018
10	वाटर ट्रायल	--	--	दिसंबर 2018
11	ट्रायल और वाणिज्यिक उत्पादन	--	--	जनवरी, 2019

परियोजना के कार्यान्वयन में विलंब के कारण

(क) बाजार परिदृश्य के कारण उन्होंने अपने मौजूदा एलओए में 55 उत्पादों को जोड़ा है, 18 उत्पादों को हटा दिया है, 4 उत्पादों की क्षमता में वृद्धि की है जिसे दिनांक 12.06.2018 को यूएसी

द्वारा अनुमोदित कर दिया गया था। पर्यावरण मंत्री, भारत सरकार, दिल्ली से पर्यावरण मंजूरी (ईसी) प्राप्त करने के लिए उन्हें पहले ही मानक विचारार्थ विषय (टीओआर) प्राप्त हो चुके हैं।

(ख) उपरोक्त के कारण उन्होंने अपने क्रय आदेश और अन्य संबंधित गतिविधि में परिवर्तन किया है इसके कारण सामग्री की आपूर्ति भी प्रभावित हुई है।

विकास आयुक्त की सिफारिश :

आवेदन यूनिट द्वारा किए गए उपर्युक्त विकास कार्यों को ध्यान में रखते हुए, अनुमोदन बोर्ड से एक साल की अवधि के लिए अर्थात् 07 सितंबर, 2019 तक एलओए दिनांक 08 सितंबर, 2011 (जिसकी वैधता अवधि 07 सितंबर, 2018 तक बढ़ाई गई है) की वैधता अवधि बढ़ाने की सिफारिश की जाती है।

अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के समक्ष विचार के लिए प्रस्तुत है।

84.2 (v) तीसरे वर्ष के बाद 18 माह के लिए 15 अप्रैल 2019 तक मंजूरी पत्र (एलओए) की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मैसर्स आना इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड जो दाहेज एसईजेड की यूनिट है, का अनुरोध

- एलओए जारी करने की तिथि : 16 अक्टूबर, 2014
- यूनिट के व्यवसाय का स्वरूप : रसायनों का विनिर्माण
- विस्तार की संख्या : विकास आयुक्त, दाहेज एसईजेड द्वारा 3 (तीन) तथा अनुमोदन बोर्ड द्वारा शून्य
- एलओए कब तक वैध है : 15 अक्टूबर, 2017
- अनुरोध : 15 अप्रैल, 2019 तक 18 माह के लिए वैधता अवधि पुनः बढ़ाने के लिए

वर्तमान प्रगति

(क) व्यवसाय योजना का ब्यौरा :

क्र. सं.	लागत का प्रकार	प्रस्तावित निवेश (करोड़ रुपए में)
1	भूमि सुधार	1.50
2	भवन	0.75

3	प्लांट एवं मशीनरी	0.95
	कुल	3.45

(ख) अब तक किया गया वृद्धिमूलक निवेश तथा पिछली बार बढ़ाई गई वैधता अवधि के बाद किया गया वृद्धिमूलक निवेश :

क्र. सं.	लागत का प्रकार	अब तक किया गया कुल निवेश (करोड़ रुपए में)	पिछली बार बढ़ाई गई वैधता अवधि के बाद किया गया वृद्धिमूलक निवेश (रुपए में)
1	भूमि सुधार	1.4976	0.77
2	भवन	-	-
3	प्लांट एवं मशीनरी	-	-
	कुल	1.4976	0.77

(ग) अब तक की भौतिक प्रगति का विवरण :

क्र. सं.	गतिविधि	पूरा होने का प्रतिशत	पिछले एक साल के दौरान पूरा होने का प्रतिशत	शेष कार्य को पूरा करने की अंतिम समय सीमा
1	भूमि सुधार	50	50	सितंबर, 2018
2	भवन	-	-	दिसंबर, 2018
3	प्लांट एवं मशीनरी	-	-	मई, 2019

विलंब के विस्तृत कारण :

- निर्माण शुरू करने के लिए जीपीसीबी से सीटीई-एनओसी प्रतीक्षित है।
- दाहेज एसईजेड में जीएसपीसी से गैस प्राप्त करने के लिए प्रेशर रेगुलेटिंग टर्मिनल प्रदान करने में सक्षम होने के लिए विकासक से भूमि के बड़े पट्टे का आवंटन प्रतीक्षित

विकास आयुक्त की सिफारिश :

उपरोक्त के मद्देनजर, दिनांक 16/10/2014 के एलओए, जिसे दिनांक 15/10/2017 तक संशोधित और विस्तारित किया गया था, में एसईजेड नियमावली, 2006 के नियम 19(4) के संदर्भ में दिनांक 15/04/2019 तक डेढ़ वर्ष के लिए अवधि बढ़ाने के लिए वैधता में विस्तार के लिए अनुमोदन बोर्ड को मामले की सिफारिश की गई है।

अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के समक्ष विचार के लिए प्रस्तुत है।

84.2 (vi) 11 सितंबर, 2018 के बाद 11 सितंबर, 2019 तक अनुमति पत्र (एलओपी) की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मैसर्स पी मित्तल मैन्युफैक्चरिंग प्राइवेट लिमिटेड जो नोएडा एसईजेड की यूनिट है, का अनुरोध

- एलओपी जारी करने की तिथि : 12 सितंबर, 2014
- यूनिट के व्यवसाय का स्वरूप : तेल ड्रिलिंग उपकरणों, मशीनों, यंत्रों, पुर्जों और सहायक उपकरणों का विनिर्माण
- विस्तार की संख्या : 3 (विकास आयुक्त, नोएडा एसईजेड द्वारा 3)
- एलओपी कब तक वैध है : 11 सितंबर, 2018
- अनुरोध : 11 सितंबर, 2019 तक एक साल के लिए वैधता अवधि पुनः बढ़ाने के लिए

वर्तमान प्रगति :

(क) व्यवसाय योजना का ब्यौरा

क्र. सं.	लागत का प्रकार	प्रस्तावित निवेश (करोड़ रुपए में)
1	फ़ैक्टरी बिल्डिंग	3.50
2	प्लांट एवं मशीनरी	3.75
3	कार्यकारी पूंजी	2.90
	कुल	10.15

(ख) अब तक किया गया निवेश तथा पिछली बार बढ़ाई गई वैधता अवधि के बाद किया गया वृद्धिमूलक निवेश

क्र. सं.	लागत का प्रकार	अब तक किया गया कुल निवेश (करोड़ रुपए में)	पिछली बार बढ़ाई गई वैधता अवधि के बाद किया गया वृद्धिमूलक निवेश (करोड़ रुपए में)

1	फैक्टरी बिल्डिंग	2.94	0.25
2	प्लांट एवं मशीनरी	0.89	--
3	कार्यकारी पूंजी	--	--
	कुल :	3.83	0.25

(ग) अब तक की भौतिक प्रगति का विवरण :

क्र. सं.	लागत का प्रकार	आज तक की तिथि के अनुसार पूर्ण होने का प्रतिशत	पिछले एक वर्ष के दौरान समाप्ति का प्रतिशत	शेष कार्य को पूरा करने की अंतिम समय सीमा
1	फैक्टरी बिल्डिंग	85 प्रतिशत	15 प्रतिशत	दिसंबर 2018
2	प्लांट एवं मशीनरी	--	--	फैक्टरी भवन के पूरा होने से 30 दिनों की अवधि के भीतर
3	कार्यकारी पूंजी	-	-	फैक्टरी भवन के पूरा होने की तारीख से 4-5 माह की अवधि के भीतर

विलंब के विस्तृत कारण :

यूनिट ने परियोजना के कार्यान्वयन में विलंब के लिए निम्नलिखित कारण प्रस्तुत किए हैं :

1. कि ठेकेदार द्वारा देरी से काम करने के कारण वे भवन का निर्माण कार्य पूरा नहीं कर सके।
2. उन्होंने 85 प्रतिशत तक निर्माण पूरा कर लिया है और शेष 15 प्रतिशत निर्माण दिसंबर 2018 तक पूरा होने की उम्मीद है।

विकास आयुक्त की सिफारिश :

विकास आयुक्त, नोएडा एसईजेड ने 11 सितंबर, 2018 के बाद एक साल की अवधि के लिए अर्थात् 11 सितंबर, 2019 तक एलओपी की अवधि बढ़ाने के अनुरोध की सिफारिश की है।

अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के समक्ष विचार करने के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत है।

84.2 (vii) 17 मई, 2012 से प्रभावी 5 साल के दूसरे ब्लॉक में एक साल के लिए अर्थात 16 मई, 2019 तक वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मैसर्स हेलियोस फोटो वाल्टिक लिमिटेड जो 66बी, उद्योग विहार, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश में मैसर्स मोजेर बेयर इंडिया लिमिटेड के गैर परंपरागत ऊर्जा के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड की यूनिट है, का अनुरोध

एलओपी जारी किया गया	: 12 अक्टूबर, 2006
यूनिट के व्यवसाय का स्वरूप	: सोलर सेल एवं उनके पार्ट्स, सोलर माइयूल एवं उनके पार्ट्स, हाई कंसन्ट्रेशन फोटो वाल्टिक पैनल एवं उनके पार्ट्स, लो कंसन्ट्रेशन फोटो वाल्टिक पैनल / सेल एवं उनके पार्ट्स, सोलर पावर सिस्टम (स्टैंड एलोन / ग्रिड टाइड) 75 मेगावाट का निर्माण, 54 वस्तुओं के व्यापार की गतिविधियां।
विस्तार की संख्या	: यूनिट ने दिनांक 17.05.2007 से उत्पादन शुरू कर दिया और अनुमोदन समिति द्वारा एलओए को 16 मई, 2022 तक बढ़ा दिया गया है।
एलओए कब तक वैध है	: 16 मई, 2022

अनुमोदन बोर्ड ने दिनांक 18.09.2017 को आयोजित अपनी बैठक में दिनांक 17.05.2012 से यूनिट के पांच वर्ष के दूसरे ब्लॉक के लिए दिनांक 16.05.2017 से आगे एक वर्ष की अवधि अर्थात दिनांक 16.05.2018 तक विस्तार के अनुरोध की मंजूरी दी थी। यूनिट ने एसईजेड नियमावली, 2006 के नियम 72 के तहत दूसरे ब्लॉक की अवधि में एक और वर्ष के लिए एनएफई की निगरानी के लिए 5 वर्ष के ब्लॉक अवधि के विस्तार की स्वीकृति के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किया है।

एपीआर के अनुसार यूनिट का वर्ष-वार कार्य-निष्पादन

(लाख रुपए में)

वित्त वर्ष	2012 - 13	2013 -14	2014 -15	2015 - 16	2016 - 17	2017- 18**	कुल
निर्यातों का एफओबी मूल्य	3,477.00	14,171.70	6259.79	2647.90	7387.54		33943.93
कुल बहिर्प्रवाह	6907.51	15099	8057.92	3462.49	3262.73		36789.65
वर्ष के दौरान एनएफई	- 3430.51	-927.3	-1798.13	-814.59	4124.81	- 1554.25	- 4399.97

** वर्ष 2017-18 के लिए एपीआर की प्रतीक्षा है। हालांकि, यूनिट ने वर्ष 2017-18 के दौरान (-) 1554.25 लाख रुपये का ऋणात्मक एनएफई होने की सूचना दी है, जिसके परिणामस्वरूप दिनांक 31.03.2018 तक संचयी एनएफई (-) 4399.97 लाख रुपये हो जाता है।

यूनिट ने कहा है कि अब वे दो प्रगति का अनुसरण करने की वजह से आगे बढ़ने की उम्मीद करते हैं:

- (क) संरक्षण शुल्क अधिरोपित किया गया यूनिट ने सूचित किया है कि 30 जुलाई, 2018 को, भारत सरकार ने वित्त मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना संख्या 1/2018-सीमा शुल्क (एसजी) दिनांक 30 जुलाई, 2018 के माध्यम से अंततः देश में सेलों और मॉड्यूलों के आयात पर संरक्षण शुल्क लगाया है - इस प्रकार, चाइनीज विनिर्माताओं द्वारा डंपिंग पर एक टैरिफ बैरियर लगाया गया और घरेलू विनिर्माण को प्रोत्साहित किया गया। यूनिट ने यह भी उल्लेख किया है कि सेल और मॉड्यूल के आयात पर शुल्क लगाए जाने के साथ, वे घरेलू मांग में वृद्धि करने और कुछ मार्जिन प्राप्त करने में विश्वस्त हैं।
- (ख) **इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड (आईबीसी) के तहत कार्यवाहियां** : यूनिट ने उल्लेख किया है कि वे इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड, 2016 की धारा 7 के तहत नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल में जाने की कगार पर हैं। सभी सुनवाई समाप्त हो गई हैं और किसी भी दिन उन्हें आईबीसी के अंतर्गत लाने का आदेश प्रतीक्षित है।

इसके अतिरिक्त, यूनिट ने यह भी उल्लेख किया है कि हालांकि उन्हें औपचारिक रूप से इंसॉल्वेंसी और बैंकरप्सी कार्यवाही में शामिल होना बाकी है, लेकिन उन्हें लगता है कि उन्हें एसईजेड नियमावली के नियम 72 के तहत एक रूग्ण इकाई के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। एक बार औपचारिक रूप से शामिल होने के बाद, संगठन के लिए एक विस्तृत पुनरुद्धार योजना के साथ एक संकल्प प्रक्रिया तैयार की जाएगी, एनसीएलटी खंडपीठ द्वारा अनुमोदित किए जाने से पहले इसकी समीक्षा क्रेडिटर्स के कंसोर्टियम द्वारा की जाएगी।

03 अगस्त, 2018 को आयोजित अनुमोदन समिति की बैठक में मामला रखा गया था। अनुमोदन समिति ने प्रेक्षण किया कि एसईजेड नियमावली, 2006 के नियम 72 (1) में निम्नलिखित विनिर्दिष्ट हैं:

“कोई यूनिट, जिसे उचित प्राधिकारी द्वारा रूग्ण घोषित कर दिया गया है, विकास आयुक्त के माध्यम से बोर्ड को विचार किए जाने हेतु एक पुनरुद्धार पैकेज प्रस्तुत करेगा और बोर्ड प्रचलित नियमों के अनुसार सकारात्मक शुद्ध विदेशी मुद्रा की पूर्ति की अवधि में अधिकतम पांच वर्ष की और अवधि के लिए विस्तारण पर विचार करेगा।”

यद्यपि, नियम 72 की विशिष्ट अपेक्षाओं को पूरा नहीं किया गया है, यूनिट की परिस्थितियों, यूनिट द्वारा सामना की गई समस्याओं और इंसॉल्वेंसी और बैंकरप्सी कोड (आईबीसी) में यूनिट के प्रवेश की स्थिति को ध्यान में रखते हुए, अनुमोदन समिति ने अनुमोदन बोर्ड द्वारा विचार किए जाने हेतु एनएफई की निगरानी के लिए यूनिट के अंतिम ब्लॉक वर्ष में एक और वर्ष की अवधि अर्थात् 16 मई, 2019 तक और विस्तार करने के अनुरोध की सिफारिश अनुमोदन बोर्ड को की है।

विकास आयुक्त / अनुमोदन समिति की सिफारिश :

यूनिट की परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में, एनएफई की निगरानी के लिए 16.05.2019 तक अंतिम ब्लॉक वर्ष के एक और वर्ष तक और विस्तार के लिए, अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ अग्रेषित किया गया है। विकास आयुक्त, एनएसईजेड ने पूर्ववर्ती तथ्यों और परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में, इस प्रस्ताव की सिफारिश की है।

अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के समक्ष विचार करने के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत है।

मद संख्या 84.3 : सह विकासक के लिए अनुरोध (1 प्रस्ताव)

84.3 (i) पूर्वी गोदावरी जिला, आंध्र प्रदेश में मैसर्स काकीनाडा एसईजेड लिमिटेड के बहु उत्पाद एसईजेड में सह विकासक का दर्जा प्रदान करने के लिए मैसर्स वाट्टेन टेरोस टेकनीक प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

1927.8788 हेक्टेयर (क्लब्ड) के क्षेत्रफल में उपर्युक्त एसईजेड को 23.04.2007 और 08.02.2013 को अधिसूचित किया गया था।

मैसर्स वाट्टेन टेरोस टेक्निक प्राइवेट लिमिटेड ने, सह-विकासक करार में यथासहमत, मैसर्स काकीनाडा एसईजेड लिमिटेड में जल आपूर्ति प्रणाली के डिजाइन, विकास, निर्माण, प्रापण, संचालन, रखरखाव और प्रबंधन के लिए उपरोक्त एसईजेड में सह-विकासक बनने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है।

विकासक के साथ किया गया सह विकासक आशय पत्र दिनांक 14 अगस्त, 2018 उपलब्ध कराया गया है। एसईजेड में सह विकासक द्वारा निवेश के लिए प्रस्तावित राशि 15 करोड़ रुपए है।

विकास आयुक्त की सिफारिश :

विकास आयुक्त, वीएसईजेड ने प्रस्ताव की सिफारिश की है।

सह विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत है।

मद संख्या 84.4 : एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रस्ताव (एक प्रस्ताव)

84.4 (i) ग्राम ऐनोवोलू, अमरावती राजधानी शहर, आंध्र प्रदेश में 21.48 हेक्टेयर (53.10 एकड़) के क्षेत्रफल में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के मैसर्स आंध्र प्रदेश रीजन डवलपमेंट अथारिटी (एपीसीआरडीए) का अनुरोध

क्र. सं.	विकासक का नाम	लोकेशन	क्षेत्र	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूमि पर कब्जा	राज्य सरकार की सिफारिश	आवेदन की स्थिति
(i)	मैसर्स आंध्र प्रदेश रीजन डवलपमेंट अथारिटी (एपीसीआरडीए)	ग्राम ऐनोवोलू, अमरावती राजधानी शहर, आंध्र प्रदेश	आईटी / आईटीईएस	21.48 हेक्टेयर (53.10 एकड़)	हां	हां (07.06.2018)	नया

- (i) प्रस्तावित निवेश चरण 1 (10.75 एकड़) के लिए 285.24 करोड़ रुपये
- (ii) परियोजना का प्रक्षेपित रोजगार प्रत्यक्ष: 46,800 और अप्रत्यक्ष: 1,87,200
- (iii) विदेशी निवेश : सं.

विकास आयुक्त, वीएसईजेड ने प्रस्ताव की सिफारिश की है।

विकासक का प्रस्ताव अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत है।

मद संख्या 84.5 : शेयर होल्डिंग के पैटर्न में परिवर्तन / नाम में परिवर्तन / विलय / डिमर्जर के मामले (12 प्रस्ताव)

84.5 (i) कंपनी का नाम बदलकर जीटीवी फेज 1 प्राइवेट लिमिटेड करने तथा कंपनी की शेयर होल्डिंग के पैटर्न में परिवर्तन के लिए मैसर्स डा. फ्रेश हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड जो ग्राम घमरोज, तहसील सोहना, गुड़गांव - सोहना रोड, गुड़गांव, हरियाणा में मैसर्स जीटीवी टेक एसईजेड प्राइवेट लिमिटेड (पूर्व में डा. फ्रेश हेल्थकेयर प्राइवेट लिमिटेड) के आईटी / आईटीईएस सहित इलेक्ट्रॉनिक्स हार्डवेयर एवं साफ्टवेयर एसईजेड का सह विकासक है, का प्रस्ताव

मैसर्स डाक्टर फ्रेश हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड जो ग्राम घमरोज, तहसील सोहना, गुड़गांव - सोहना रोड, गुड़गांव, हरियाणा में आईटी / आईटीईएस एसईजेड सहित इलेक्ट्रॉनिक्स हार्डवेयर एवं साफ्टवेयर का विकासक है, ने कंपनी का नाम बदलकर जीटीवी टेक एसईजेड प्राइवेट लिमिटेड करने तथा कंपनी की

शेयर होल्डिंग के पैटर्न में परिवर्तन के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। कंपनी के मौजूदा शेयरहोल्डिंग और प्रस्तावित शेयरहोल्डिंग पैटर्न का विवरण निम्नानुसार है: -

अनुमोदन बोर्ड द्वारा दिनांक 23 जून, 2016 को आयोजित उनकी बैठक में यथाअनुमोदित		31 दिसंबर 2018 से पूर्णविचार शेयर होल्डिंग का पैटर्न :	
शेयर धारक का नाम	शेयर का प्रतिशत	शेयर धारक का नाम	शेयर का प्रतिशत
श्री विवेक चंद बर्मन	97.71 प्रतिशत	श्री विवेक चंद बर्मन	97.71 प्रतिशत
दि गोल्डन स्टेट कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड, सिंगापुर	2.28 प्रतिशत	वीआईसी एंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड	2.29 प्रतिशत
स्टार्ट ईजीए हेल्थ सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, सिंगापुर	0.01 प्रतिशत	-	-
कुल	100.00 प्रतिशत	कुल	100.00 प्रतिशत

सह विकासक ने सूचित किया था कि श्री सुमित नंदा और मैसर्स गोल्डन स्टेट कैपिटल पीटीई लिमिटेड ने दिनांक 02 जनवरी, 2018 को कंपनी में अपनी इक्विटी शेयरहोल्डिंग को मैसर्स वीआईसी एंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड को हस्तांतरित कर दिया है। कंपनी की 2.29 प्रतिशत शेयरहोल्डिंग में परिवर्तन हुए हैं।

विकासक ने "डॉ. फ्रेश एसईजेड फेज । प्राइवेट लिमिटेड" से नाम बदलकर "जीटीवी एसईजेड फेज । प्राइवेट लिमिटेड" करने के अनुक्रम में आरओसी, दिल्ली द्वारा दिनांक 18 अप्रैल, 2018 को जारी किए गए निगमन प्रमाणपत्र की प्रति प्रस्तुत की है।

विकास आयुक्त की सिफारिश :

अनुदेश संख्या 89 दिनांक 17.05.2018 के संदर्भ में, मैसर्स डॉ. फ्रेश एसईजेड फेज । प्राइवेट लिमिटेड, सह विकासक ने कंपनी का नाम बदलकर "जीटीवी एसईजेड फेज । प्राइवेट लिमिटेड" करने और कंपनी के शेयरहोल्डिंग पैटर्न में 2.29% बदलाव करने पर विचार किए जाने के लिए मामले को अनुमोदन बोर्ड को अग्रेषित किया है। यह कार्यालय इस प्रस्ताव की सिफारिश करता है।

अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के समक्ष विचार के लिए प्रस्तुत है।

84.5 (ii) शेयर होल्डिंग के पैटर्न में परिवर्तन के लिए मैसर्स सैंड्स इनफ्राबिल्ड प्राइवेट लिमिटेड जो कोच्चि में स्मार्ट सिटी (कोच्चि) इनफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड के एसईजेड का सह विकासक है, का प्रस्ताव

यह एसईजेड 21 अप्रैल, 2008 को अधिसूचित किया गया। अब तक, उन्होंने एसईजेड के विकास के लिए कुल 1200 करोड़ रुपये का निवेश किया है। परियोजना का कार्यान्वयन समय-सारणी के अनुसार प्रगति पर है और कंपनी ने अब तक 350 करोड़ रुपये (265 करोड़ रुपये का इक्विटी अंशदान और 85 करोड़ रुपये के ऋण अंशदान) का व्यय किया है।

मैसर्स सैंड्स इंफ्राबिल्ड प्राइवेट लिमिटेड, कोच्चि जो स्मार्टसिटी (कोच्चि) इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड एसईजेड, कोच्चि के सह विकासक हैं, को केरल के एर्नाकुलम जिले के कक्कानाड गाँव में आईटी / आईटीईएस के लिए सेक्टर विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने, अवसंरचनात्मक विकास, भवनों के संचालन और रखरखाव तथा सहायक अवसंरचना परियोजनाओं के लिए 1 जुलाई 2015 को मंजूरी पत्र दिया गया।

सह विकासक ने शेयर होल्डिंग के अपने पैटर्न में परिवर्तन के लिए अनुरोध प्रस्तुत किया है : कंपनी की शेयर होल्डिंग के पैटर्न का ब्यौरा नीचे दिया गया है :

अंतरण से पूर्व शेयर होल्डिंग का पैटर्न

शेयर धारक का नाम	शेयरहोल्डिंग का मौजूदा पैटर्न (करोड़ रुपये में)	शेयर होल्डिंग का प्रतिशत
श्री शारून शमसुद्दीन	125.00	45.00 प्रतिशत
श्रीमती शिफा युसुफ अली	152.77	55.00 प्रतिशत
कुल	277.77	100.00 प्रतिशत

अंतरण के बाद शेयर होल्डिंग का पैटर्न

शेयर धारक का नाम	शेयरहोल्डिंग का मौजूदा पैटर्न (करोड़ रुपये में)	शेयर होल्डिंग का प्रतिशत
श्रीमती शिफा युसुफ अली	220.00	55.00 प्रतिशत
श्री एम ए युसुफ अली	90.00	22.50 प्रतिशत
श्रीमती शबीरा युसुफ अली	90.00	22.50 प्रतिशत
कुल	400.00	100.00 प्रतिशत

विकास आयुक्त की सिफारिश :

विकास आयुक्त, सीएसईजेड ने प्रस्ताव की सिफारिश की है।

अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के समक्ष विचार के लिए प्रस्तुत है।

84.5 (iii) नाम में परिवर्तन के लिए मैसर्स रिलायंस यूटिलिटीज एंड पावर प्राइवेट लिमिटेड जो रिलायंस जामनगर विशेष आर्थिक क्षेत्र, जामनगर का सह विकासक है, का अनुरोध

रिलायंस यूटिलिटीज एंड पावर प्राइवेट लिमिटेड जो रिलायंस जामनगर विशेष आर्थिक क्षेत्र, जामनगर के सह विकासक हैं, ने सूचित किया है कि उनका नाम 28.05.2018 से बदलकर “जामनगर यूटिलिटीज एंड पावर प्राइवेट लिमिटेड” कर दिया गया है।

सह विकासक ने निम्नलिखित प्रस्ताव प्रस्तुत किया है :

- (i) नाम बदलने के अनुक्रम में आरओसी, अहमदाबाद द्वारा जारी दिनांक 28.05.2018 के निगमन प्रमाणपत्र की एक प्रति
- (ii) निदेशक मंडल और उनके शेयरहोल्डिंग पैटर्न का सीए द्वारा विधिवत प्रमाणित किया गया विवरण।
- (iii) नाम बदलने के अनुक्रम में विकासक की ओर से अनापत्ति पत्र।

विकास आयुक्त की सिफारिश :

विकास आयुक्त, जामनगर एसईजेड ने प्रस्ताव की सिफारिश की है।

सह विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत है।

84.5 (iv) शेयर होल्डिंग के पैटर्न में 50 प्रतिशत से अधिक परिवर्तन के लिए मैसर्स लोमा को-डवलपर्स 1 प्राइवेट लिमिटेड जो जी 4/1, टीटीसी औद्योगिक क्षेत्र, घनसोली, नवी मुंबई में लोमा आईटी पार्क के एसईजेड में सह विकासक है, का अनुरोध

अवसंरचनात्मक सुविधा प्रदान करने के लिए मैसर्स लोमा को-डवलपर्स 1 प्राइवेट लिमिटेड को दिनांक 15 फरवरी, 2018 को सह विकासक का दर्जा दिया गया।

कंपनी की शेयर होल्डिंग के पैटर्न का ब्यौरा नीचे दिया गया है :

कंपनी की शेयर होल्डिंग का वर्तमान पैटर्न इस प्रकार है :

शेयर धारकों का नाम	इक्विटी शेयरों की संख्या	प्रतिशत
औरम प्लाट्ज प्राइवेट लिमिटेड	9999	99.99

श्रीरंग यशवंत अठैले	1	0.01
कुल	10000	100 प्रतिशत

प्रस्तावित परिवर्तन के बाद शेयरहोल्डिंग पैटर्न

शेयर धारकों का नाम	इक्विटी शेयरों की संख्या	प्रतिशत
असेंडास प्रापर्टी फंड (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड	9999	99.99 प्रतिशत
असेंडास प्रापर्टी फंड (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड के नामित शेयरहोल्डर	1	0.01 प्रतिशत
कुल	10000	100.00 प्रतिशत

सह विकासक ने यह भी बताया है कि दिनांक 12.05.2018 के शेयर खरीद करार के अनुसार, क्रेता कंपनी की सभी आस्तियों और देनदारियों को ग्रहण करेगा और एसईजेड अधिनियम के सभी नियमों, विनियमों और अपेक्षाओं का पालन करने की पुष्टि की है। सह विकासक ने असेंडास प्रापर्टी फंड (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड, असेंडास प्रापर्टी फंड (एफडीआई) प्राइवेट लिमिटेड, वीआईटीपी प्राइवेट लिमिटेड के साथ किए गए शेयर खरीद करार को भी प्रस्तुत किया है।

विकास आयुक्त की सिफारिश :

विकास आयुक्त, एसईईपीजेड एसईजेड ने प्रस्ताव की सिफारिश की है।

प्रस्ताव अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत है।

84.5 (v) शेयर होल्डिंग के पैटर्न में 50 प्रतिशत से अधिक परिवर्तन के लिए मैसर्स लोमा को-डवलपर्स 2 प्राइवेट लिमिटेड जो जी 4/1, टीटीसी औद्योगिक क्षेत्र, घनसोली, नवी मुंबई में लोमा आईटी पार्क के एसईजेड में सह विकासक है, का अनुरोध

अवसंरचनात्मक सुविधा प्रदान करने के लिए मैसर्स लोमा को-डवलपर्स 2 प्राइवेट लिमिटेड को दिनांक 15 फरवरी, 2018 को सह विकासक का दर्जा दिया गया।

कंपनी की शेयर होल्डिंग के पैटर्न का ब्यौरा नीचे दिया गया है :

कंपनी की शेयर होल्डिंग का वर्तमान पैटर्न इस प्रकार है :

शेयर धारकों का नाम	इक्विटी शेयरों की संख्या	प्रतिशत
औरम प्लाट्ज प्राइवेट लिमिटेड	9999	99.99
सौरभ रमेश सांगेकर	1	0.01
कुल	10000	100

प्रस्तावित परिवर्तन के बाद शेयरहोल्डिंग पैटर्न

शेयर धारकों का नाम	इक्विटी शेयरों की संख्या	प्रतिशत
असेंडास प्रापर्टी फंड (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड	9999	99.99
असेंडास प्रापर्टी फंड (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड के नामित शेयरहोल्डर	1	0.01
कुल	10000	100.00

सह विकासक ने यह भी बताया है कि दिनांक 12.05.2018 के शेयर खरीद करार के अनुसार, क्रेता कंपनी की सभी आस्तियों और देनदारियों को ग्रहण करेगा और एसईजेड अधिनियम के सभी नियमों, विनियमों और अपेक्षाओं का पालन करने की पुष्टि की है। सह-डेवलपर ने असेंडास प्रापर्टी फंड (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड, असेंडास प्रापर्टी फंड (एफडीआई) प्राइवेट लिमिटेड, वीआईटीपी प्राइवेट लिमिटेड के साथ किए गए शेयर खरीद करार को भी प्रस्तुत किया है।

विकास आयुक्त की सिफारिश :

विकास आयुक्त, एसईईपीजेड एसईजेड ने प्रस्ताव की सिफारिश की है।

प्रस्ताव अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत है।

84.5 (vi) शेयर होल्डिंग के पैटर्न में परिवर्तन के लिए प्लॉट नंबर 28, एमआईडीसी, राजीव गांधी इनफोटेक पार्क, फेज-2, हिंजेवाड़ी, पुणे, महाराष्ट्र में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में मैसर्स क्वाड्रोन बिजनेस पार्क प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

उपर्युक्त उल्लिखित एसईजेड 14.09.2007 और 03.10.2007 को अधिसूचित हो गया है।

कंपनी की शेयर होल्डिंग के पैटर्न का ब्यौरा नीचे दिया गया है :

शेयर होल्डिंग का मौजूदा पैटर्न

क्र. सं.	शेयर धारक का नाम	प्रतिशत
1.	बीआरई/मारीशस इनवेस्टमेंट्स II*	99.99
2.	कुणाल शाह	0.01
	कुल	100

* ब्लैकस्टोन ग्रुप एल.पी. की एक संबद्ध संस्था

शेयर होल्डिंग का प्रस्तावित पैटर्न

क्र. सं.	शेयर धारक का नाम	प्रतिशत
1.	दूतावास कार्यालय पार्क आरईआईटी	100.00

विकास आयुक्त की सिफारिश :

विकास आयुक्त, एसईईपीजेड एसईजेड ने प्रस्ताव की सिफारिश की है।

प्रस्ताव अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत है।

84.5 (vii) शेयर होल्डिंग के पैटर्न में परिवर्तन के लिए राजीव गांधी इनफोटेक पार्क, फेज-1, हिंजेवाड़ी, पुणे, महाराष्ट्र में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में मैसर्स क्यूबिक्स बिजनेस पार्क प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

उपर्युक्त एसईजेड 03 अक्टूबर 2007 को अधिसूचित हो गया है।

कंपनी की शेयर होल्डिंग के पैटर्न का ब्यौरा नीचे दिया गया है :

शेयर होल्डिंग का मौजूदा पैटर्न

क्र. सं.	शेयर धारक का नाम	प्रतिशत
1.	बीआरईपी एनटीपीएल होल्डिंग (एनक्यू) पीटीई लिमिटेड *	79.62
2.	बीआरईपी VII होल्डिंग (एनक्यू) पीटीई लिमिटेड *	19.89

3.	बीआरईपी एशिया एसबीएस एनटीपीएल होल्डिंग (एनक्यू) लिमिटेड *	0.38
4.	बीआरईपी VII एसबीएस ऑक्सीजन होल्डिंग (एनक्यू) लिमिटेड।	0.11
	कुल	100

* ब्लैकस्टोन ग्रुप एल.पी. की एक संबद्ध संस्था

शेयर होल्डिंग का प्रस्तावित पैटर्न

क्र. सं.	शेयर धारक का नाम	प्रतिशत
1.	दूतावास कार्यालय पार्क आरईआईटी	100.00

विकास आयुक्त की सिफारिश :

विकास आयुक्त, एसईईपीजेड एसईजेड ने प्रस्ताव की सिफारिश की है।

प्रस्ताव अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत है।

84.5 (viii) कंपनी की शेयर होल्डिंग में परिवर्तन के लिए मैसर्स आक्सीजन बिजनेस पार्क प्राइवेट लिमिटेड जो प्लॉट नंबर 7, सेक्टर 144, नोएडा, उत्तर प्रदेश में आईटी / आईटीईएस एसईजेड का विकासक है, का अनुरोध

मैसर्स ऑक्सीजन बिजनेस पार्क प्राइवेट लिमिटेड (पूर्व में मैसर्स आचीविस सॉफ्टवेक प्राइवेट लिमिटेड) को दिनांक 07.02.2008 को एलओए दिया गया था और एसईजेड को दिनांक 15.05.2008 को अधिसूचित किया गया था।

विकासक ने कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न में परिवर्तन करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है : विकासक ने सूचित किया है कि दिनांक 01.08.2018 की स्थिति के अनुसार कंपनी का वर्तमान शेयरहोल्डिंग पैटर्न निम्नानुसार है: -

क्र. सं.	शेयर धारक का नाम	शेयर का प्रतिशत
1.	बीआरईपी एशिया एसजी ऑक्सीजन होल्डिंग (एनक्यू) पीटीई लिमिटेड।	79.61 प्रतिशत
2.	बीआरईपी VII एसजी ऑक्सीजन होल्डिंग (एनक्यू) पीटीई लिमिटेड।	19.89 प्रतिशत

3.	बीआरईपी एशिया एसबीएस ऑक्सीजन होल्डिंग (एनक्यू) लिमिटेड।	0.39 प्रतिशत
4.	बीआरईपी VII एसबीएस ऑक्सीजन होल्डिंग (एनक्यू) लिमिटेड।	0.11 प्रतिशत
	कुल	100 प्रतिशत

* ब्लैकस्टोन ग्रुप एल.पी. की एक संबद्ध संस्था

विकासक ने सूचित किया है कि प्रस्तावित पुनर्गठन के बाद कंपनी का शेयरधारिता पैटर्न निम्नानुसार होगा :

क्र. सं.	शेयर धारक का नाम	शेयर का प्रतिशत
1.	दूतावास कार्यालय पार्क आरईआईटी	100 प्रतिशत

शेयरहोल्डिंग पैटर्न में बदलाव की वजह यह है कि एम्बेसी प्रॉपर्टी डेवलपमेंट प्राइवेट लिमिटेड (दूतावास प्रायोजक) ईओपी आरईआईटी का वर्तमान प्रायोजक है, जो ईओपी आरईआईटी की युनिटों के बदले में मौजूदा शेयरधारकों से कंपनी की इक्विटी शेयर पूंजी के 100% को प्रत्यक्ष रूप से अधिगृहीत करेगा।

विकास आयुक्त की सिफारिश :

विकास आयुक्त, एनएसईजेड ने प्रस्ताव की सिफारिश की है।

विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत है।

84.5 (ix) नाम में परिवर्तन के लिए मैसर्स लोमा आईटी पार्क डवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड जो जी-4/1, टीटीसी औद्योगिक क्षेत्र, घंसोली, नवी मुंबई में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड का विकासक है, का अनुरोध

मैसर्स लोमा आईटी पार्क डवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड को दिनांक 11.01.2016 को एलओए प्रदान किया गया और दिनांक 15.03.2016 को अधिसूचित किया गया।

मैसर्स लोमा आईटी पार्क डवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड ने कंपनी का नाम बदलकर मैसर्स औरम प्लाट्ज आईटी प्राइवेट लिमिटेड करने का अनुरोध किया है।

कंपनी रजिस्ट्रार ने दिनांक 11.05.2018 से उक्त नाम परिवर्तन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इसके अलावा, विकासक ने बताया है कि नाम बदलने के बाद शेयरहोल्डिंग पैटर्न और निदेशक मंडल में कोई बदलाव नहीं हुआ है।

विकास आयुक्त की सिफारिश :

विकास आयुक्त, एसईईपीजेड एसईजेड ने प्रस्ताव की सिफारिश की है।

विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत है।

84.5 (x) मैसर्स क्यूबिक्स बिजनेस पार्क प्राइवेट लिमिटेड के एसईजेड में सह विकासक मैसर्स फ्लैगशिप डेवलपर प्राइवेट लिमिटेड (एफडीपीएल) और मैसर्स वीआईटीपी प्राइवेट लिमिटेड (वीआईटीपीएल) एवं उनके शेयर धारकों के समामेलन की योजना के अनुसार विलय के अनुमोदन तथा एफडीपीएल से वीआईटीपीएल प्राइवेट लिमिटेड में विलय के बाद नाम में परिवर्तन के लिए अनुरोध

वीआईटीपीएल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के तहत निगमित कंपनी है। वीआईटीपी प्राइवेट लिमिटेड ने फ्लैगशिप डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, जिसने पुणे में सेक्टर विशिष्ट आईटी/आईटीईएस एसईजेड विकसित किया है, के शेयरों का अधिग्रहण करने का निर्णय लिया है।

एफडीपीएल ने 5 हेक्टेयर के क्षेत्र में संबंधित विकास सहित 1.5 मिलियन वर्ग फुट के आईटी क्षेत्र के अधिसूचित क्षेत्र में आईटी / आईटीईएस एसईजेड की स्थापना के लिए मैसर्स क्यूबिक्स बिजनेस पार्क प्राइवेट लिमिटेड एसईजेड में सह विकासक के रूप में दिनांक 07.02.2012 को एलओए प्राप्त किया है।

विषय वस्तु के संदर्भ में, एफडीपीएल और वीआईटीपीएल के निदेशक मंडल ने नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, हैदराबाद बेंच द्वारा अनुमोदित समामेलन योजना के अनुसार वीआईटीपीएल के साथ एफडीपीएल के विलय करने का निर्णय लिया है, हालांकि, समामेलन योजना किसी भी सरकारी प्राधिकरण की अपेक्षित सहमति, अनुमोदन या अनुमति, जो कानून के तहत इस योजना के कार्यान्वयन के लिए आवश्यक हो सकती है, के अध्यक्षीन है।

इसके अलावा, एफडीपीएल और वीआईटीपीएल के समामेलन की योजना के अनुसार, वीआईटीपीएल द्वारा धारित एफडीपीएल के शेयर विलय के अनुसरण में निरस्त हो जाएंगे और सह विकासक का नाम मैसर्स फ्लैगशिप डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड से बदलकर मैसर्स वीआईटीपी प्राइवेट लिमिटेड हो जाएगा।

विलय से पहले और बाद का शेयरधारिता पैटर्न निम्नानुसार हैं :

समामेलन से पहले वीआईटीपी प्राइवेट लिमिटेड का शेयरधारिता पैटर्न :

क्र. सं.	इक्विटी शेयर धारक का नाम	प्रतिशत
1.	असेंडास प्रापर्टी फंड (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड	99.99 प्रतिशत
2.	असेंडास प्रापर्टी फंड ट्रस्टी प्राइवेट लिमिटेड	0.01 प्रतिशत
	कुल	100 प्रतिशत

समामेलन से पहले एफडीपीएल का शेयरधारिता पैटर्न :

क्र. सं.	शेयरहोल्डरों का ब्यौरा	प्रतिशत
क	इक्विटी शेयरधारक	
1.	वीआईटीपी प्राइवेट लिमिटेड	99.98 प्रतिशत
2.	अभिजीत कुकड़े (वीआईटीपी प्राइवेट लिमिटेड द्वारा धारित लाभप्रद हित)	0.001 प्रतिशत
3	कुल	100 प्रतिशत
ख	क्लास बी इक्विटी शेयर	
1.	वीआईटीपी प्राइवेट लिमिटेड	0.01 प्रतिशत
	कुल (क + ख)	100 प्रतिशत

विकास आयुक्त की सिफारिश :

फ्लैगशिप डेवलपर प्राइवेट लिमिटेड (एफडीपीएल) और वीआईटीपी प्राइवेट लिमिटेड (वीआईटीपीएल) और उनके संबंधित शेयरधारकों (समामेलन योजना) के समामेलन और मैसर्स फ्लैगशिप डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड से नाम बदलकर मैसर्स वीआईटीपी प्राइवेट लिमिटेड करने के प्रस्ताव की सिफारिश एमओसी द्वारा जारी किए गए अनुदेश संख्या 89 दिनांक 17.05.2018 के अनुसार अनुमोदन बोर्ड के समक्ष की गई है।

अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत है।

84.5 (xi) एनसीएलटी द्वारा जारी किए गए समामेलन आदेश के अनुसरण में नियंत्रक कंपनी मैसर्स आईबीएस साफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड को एलओए दिनांक 16 अगस्त 2007 का हस्तांतरण करने की अनुमति प्रदान करने के लिए मैसर्स आईबीएस साफ्टवेयर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड जो ईटीपी एसईजेड-1 में सह विकासक है, का अनुरोध

मैसर्स आईबीएस साफ्टवेयर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, सह विकासक इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी पार्क एसईजेड -1 में आईटी / आईटीईएस एसईजेड में अवसंरचनात्मक सुविधाएं प्रदान करने के लिए दिनांक

16.08.2007 के वैध एलओए का धारक है। अब मैसर्स आईबीएस ने सूचित किया है कि नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल द्वारा 27 मार्च, 2018 को जारी आदेश के आधार पर मैसर्स आईबीएस सॉफ्टवेयर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड का अपनी नियंत्रक कंपनी मैसर्स आईबीएस सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड के साथ विलय कर दिया गया है, जिससे आई.बी.एस. सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड भारत में उत्तरजीवी कंपनी है। उन्होंने 10 अप्रैल, 2018 में आरओसी में पुष्टि दर्ज की है। समामेलन के परिणामस्वरूप, उन्होंने आईबीएस सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड, जो कि उत्तरजीवी संगठन है, के नाम से मंजूरी पत्र को हस्तांतरित करने की अनुमति के लिए अनुरोध किया है।

कंपनी की शेयर होल्डिंग के पैटर्न का ब्यौरा नीचे दिया गया है :

हस्तांतरणकर्ता (आईबीएस सॉफ्टवेयर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड) से पहले शेयरहोल्डिंग पैटर्न

शेयर धारक का नाम	शेयर होल्डिंग का प्रतिशत
10 रुपए प्रत्येक के सिरीज ए इक्विटी शेयर	
आईबीएस साफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड	100 प्रतिशत

शेयर धारक का नाम	शेयर होल्डिंग का प्रतिशत
10 रुपए प्रत्येक के सिरीज बी इक्विटी शेयर	
आईबीएस साफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड	96.621 प्रतिशत
वी के मैथ्यूज	0.002 प्रतिशत
लता मैथ्यूज	0.000 प्रतिशत
पिट्रो कफाई	2.157 प्रतिशत
फिलिप डडवर्ड हिंटन	0.750 प्रतिशत
विलियम जेम्स मिलने	0.469 प्रतिशत
कुल	100 प्रतिशत

* सीरीज ए के इक्विटी शेयर जिनमें कोई मताधिकार नहीं है।

हस्तांतरिती (आईबीएस सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड) से पहले शेयरहोल्डिंग पैटर्न
हस्तांतरणकर्ता (आईबीएस सॉफ्टवेयर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड) से पहले शेयरहोल्डिंग पैटर्न

शेयर धारक का नाम	शेयर होल्डिंग का प्रतिशत
10 रुपए प्रत्येक के 1,00,00,00,000 इक्विटी शेयर)	
आईबीएस साफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड	99.990 प्रतिशत
शिवकुमार पूजंकरा	0.010 प्रतिशत
कुल (क)	100 प्रतिशत

वी के मैथ्यूज	75 प्रतिशत
लता मैथ्यूज	25 प्रतिशत
कुल (ख)	100 प्रतिशत

विलय के बाद शेयरहोल्डिंग पैटर्न (आईबीएस सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड)

शेयर धारक का नाम	शेयर होल्डिंग का प्रतिशत
आईबीएस साफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड	99.990 प्रतिशत
शिवकुमार पूजंकरा	0.010 प्रतिशत
कुल (क)	100 प्रतिशत
10 रुपए प्रत्येक के कंपल्सरी कंवर्टिबल प्रीफ्रेंस शेयर	
वी के मैथ्यूज	75 प्रतिशत
लता मैथ्यूज	25 प्रतिशत
कुल (ख)	100 प्रतिशत
10 रुपए प्रत्येक के कंपल्सरी कंवर्टिबल प्रीफ्रेंस शेयर	
पिट्रो कफाई	64.017 प्रतिशत
फिलिप डडवर्ड हिंटन	22.176 प्रतिशत
विलियम जेम्स मिलने	13.808 प्रतिशत
कुल (ग)	100 प्रतिशत

विलय आदेश के अनुसार, हस्तांतरिती कंपनी अर्थात् मैसर्स आईबीएस सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड द्वारा धारित हस्तांतरणकर्ता कंपनी अर्थात्, मैसर्स आईबीएस सॉफ्टवेयर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के सभी सीरीज़ ए और सीरीज़ बी इक्विटी शेयर को रद्द कर दिया गया था और हस्तांतरिती कंपनी को हस्तांतरणकर्ता कंपनी द्वारा धारित ऐसे शेयरों के बदले में कोई शेयर जारी नहीं किया गया था। उन्हें समामेलन योजना के खंड 14.1 के अनुसरण में रद्द कर दिया गया था।

विकास आयुक्त की सिफारिश :

विकास आयुक्त, सीएसईजेड ने प्रस्ताव की सिफारिश की है।

विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत है।

84.5 (xii) डिमर्जर तथा मैसर्स एस्पेन इनफ्रा पडुबिडी प्राइवेट लिमिटेड (एआईपीपीएल) को मंजूरी पत्र के हस्तांतरण के लिए मैसर्स एस्पेन इनफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड जो एस्पेन इनफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड एसईजेड का विकासक है, का अनुरोध

मैसर्स एस्पेन इंफ्रास्ट्रक्चर्स लिमिटेड, एस्पेन इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड एसईजेड, पदुबिद्री, उडुप्पी, कर्नाटक के विकासक है जो एक वैध मंजूरी पत्र के धारक है। विकासक कंपनी ने कोयम्बटूर, पदुबिद्री तथा वडोदरा में स्थित तीन अलग-अलग कंपनियों अर्थात् तीन एसईजेड क्रमशः एस्पेनपार्क इंफ्रा कोयम्बटूर प्राइवेट लिमिटेड (एआईपीपीएल), एस्पेनपार्क इंफ्रा पदुबिद्री प्राइवेट लिमिटेड (एआईवीपीएल) तथा एस्पेनपार्क इंफ्रा वडोदरा प्राइवेट लिमिटेड (एआईवीपीएल) के डिमर्जर के साथ-साथ इन्हे मंजूरी पत्र के हस्तांतरण के लिए नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (एनसीएलटी) मुंबई और अहमदाबाद में व्यवस्था योजना दायर की है।

एस्पेन इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (हस्तांतरणकर्ता कंपनी) ने पदुबिद्री, उडुप्पी में एसईजेड के विकास और रखरखाव के लिए उन्हें दिए गए मंजूरी पत्र को मैसर्स एस्पेन इंफ्रा पदुबिद्री प्राइवेट लिमिटेड (एआईपीपीएल) हस्तांतरिती कंपनी को हस्तांतरित करने और हस्तांतरणकर्ता कंपनी की निरंतरता और उत्तराधिकार में हस्तांतरिती कंपनी को पदुबिद्री, उडुप्पी स्थित एसईजेड के विकासक के रूप में मान्यता देने का अनुरोध किया है। विकासक द्वारा यह उल्लेख किया गया है कि प्रस्ताव अंतिम आदेश के लिए एनसीएलटी में लंबित है और एनसीएलटी, मुंबई ने अपने आदेश दिनांक 05.01.2018 और 21.3.2018 में आवेदक को एसईजेड अधिकारियों सहित सभी हितधारकों से सहमति प्राप्त करने का निर्देश दिया। एस्पेन इंफ्रास्ट्रक्चर्स लिमिटेड के डिमर्जर तथा वडोदरा और कोयम्बटूर एसईजेड के संबंध में एलओए के हस्तांतरण के प्रस्तावों पर अनुमोदन बोर्ड की 83 वीं बैठक में विचार किया गया और अनुमोदित किया गया।

विकास आयुक्त की सिफारिश :

विकास आयुक्त ने अनुमति देने के लिए पूर्व अनापत्ति दी है, बशर्ते कि विकासक राजस्व, कंपनी मामलों / सेबी आदि के साथ अन्य सभी औपचारिकताओं का अनुपालन करें।

विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत है।

मद संख्या 84.6 : विकासक / सह विकासक के क्षेत्रफल में वृद्धि (4 प्रस्ताव)

84.6 (i) सर्वे नंबर 285/पी, पुप्पलगुडा गांव, राजेन्द्र नगर मंडल, रंगारेड्डी जिला, तेलंगाना में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए क्षेत्रफल में 3.14 हेक्टेयर की वृद्धि के लिए मैसर्स फिनिक्स स्पेस प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

2.63 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में उक्त एसईजेड अधिसूचित हो गया है।

विकासक ने 3.14 हेक्टेयर भूमि की वृद्धि करने के लिए अनुरोध किया है जिससे वृद्धि के बाद एसईजेड का कुल क्षेत्रफल 2.63 हेक्टेयर से बढ़कर 5.77 हेक्टेयर हो जाएगा।

विकास आयुक्त, वीएसईजेड ने कहा है कि राज्य सरकार के प्रमाण पत्र में यह उल्लेख किया गया है कि विकासक के पास अपरिवर्तनीय अधिकार हैं - डेवलेपमेंट कम जनरल पावर ऑफ अटार्नी के खंड संख्या 9.24 में यह उल्लेख है कि कि मालिक एतद्वारा घोषित करते हैं कि एतद्वारा दी गई शक्तियां और प्राधिकार करार के 5 वर्ष की अवधि के भीतर अनुसूचित भूमि के पूरी तरह से विकसित होने तक अपरिवर्तनीय हैं और परियोजना का निर्माण पूरी तरह से स्वीकृत योजना के अनुसार किया गया है।

विकास आयुक्त की सिफारिश :

विकास आयुक्त, वीएसईजेड ने प्रस्ताव की सिफारिश की है।

विकासक का प्रस्ताव अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत है।

84.6(ii) क्षेत्रफल में 1.6596 हेक्टेयर की वृद्धि के लिए मैसर्स नालंदा शैल्टर्स प्राइवेट लिमिटेड जो सर्वे नंबर 129/1, 130/1, 1311, 128/2, हिंजेवाड़ी, फेज 1, जिला पुणे में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड का विकासक है, का अनुरोध

3.4659 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में उक्त एसईजेड अधिसूचित हो गया है।

विकासक ने क्षेत्रफल में 1.6596 हेक्टेयर की वृद्धि के लिए अनुरोध किया है जिससे एसईजेड का कुल क्षेत्रफल 3.4659 से बढ़कर 5.1255 हेक्टेयर हो जाएगा।

विकास आयुक्त एसईईपीजेड ने कहा है कि 5.1255 हेक्टेयर की माप का संशोधित क्षेत्र सन्निकट प्रकृति का है और इसके आस-पास कोई सार्वजनिक मार्ग नहीं है। मौजूदा एसईजेड में बढ़ाए जाने के लिए प्रस्तावित 1.6596 हेक्टेयर का अतिरिक्त क्षेत्र खाली पड़ा है और इस पर विकासक का अधिकार है।

विकासक द्वारा राज्य सरकार की एनओसी प्रस्तुत नहीं की गई है।

विकास आयुक्त की सिफारिश :

विकास आयुक्त, एसईईजेड ने प्रस्ताव की सिफारिश की है।

यह कहा गया है कि राज्य सरकार की सिफारिश विकासक द्वारा सीधे एमओसी एंड आई को भेज दी जाएगी।

विकासक का प्रस्ताव अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत है।

84.6 (iii) 1,15,020 वर्गफीट के अतिरिक्त क्षेत्रफल में विशेष रूप से बेयर शेल बिल्डिंग के वार्म शेल बिल्डिंग में परिवर्तन के अधिकृत प्रचालनों के संचालन तथा उपर्युक्त आईटी / आईटीईएस एसईजेड में निर्मित स्थान को पट्टा पर देने के लिए एसईजेड के विकास के लिए मान्यता एंबेसी बिजनेस पार्क एसईजेड, बंगलौर में सह विकासक का दर्जा प्रदान करने के लिए मैसर्स एएनएसआर ग्लोबल कॉर्पोरेशन प्राइवेट लिमिटेड (पूर्व में इसका नाम नेटवर्क इनफार्मेशन ग्लोबल सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड था), बंगलौर का अनुरोध

26.2017 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में उपर्युक्त एसईजेड 16 नवंबर, 2006 को अधिसूचित हो गया है।

मैसर्स एएनएसआर ग्लोबल कॉर्पोरेशन प्राइवेट लिमिटेड को बेयर शेल भवनों को वार्म शेल भवनों में परिवर्तित करने और निर्मित स्थान (52,301 वर्ग फीट) जिसमें क) ब्लॉक टीक [जी 3], विंग ए और (ख) 18,803 वर्ग फुट ब्लॉक माउंटेन एश [एच 2], विंग ए शामिल हैं, को पट्टे पर देने के लिए उपरोक्त एसईजेड में सह-डेवलपर का दर्जा देने की मंजूरी दी गई। अधिकृत प्रचालनों के लिए 64,090 वर्ग फुट और 90,114 वर्ग फुट के अतिरिक्त निर्मित क्षेत्र के लिए उनके अनुरोध पर अनुमोदन बोर्ड द्वारा विचार किया गया और अनुमोदित किया गया तथा अनुमोदन पत्र क्रमशः दिनांक 15.2.2018 और 16.4.2018 दिये गये।

मैसर्स एएनएसआर ग्लोबल कॉर्पोरेशन प्राइवेट लिमिटेड ने अब एक और विस्तार आवेदन प्रस्तुत किया है, जिसमें 1,15,020 वर्ग फुट के अतिरिक्त क्षेत्र के लिए स्वीकृति मांगी गई है, जिसमें निम्नलिखित अतिरिक्त तल शामिल हैं:

- (क) ब्लॉक बानयान [एल 1] (चौथा तल) में 45,057 वर्ग फुट;
- (ख) ब्लॉक बानयान [एल 1] (पांचवा तल) में 51,161 वर्ग फुट; तथा
- (ग) ब्लॉक माउंटेन एश, एच 2 (तीसरा तल) में 18,802 वर्ग फुट

विकासक के साथ किया गया सह विकासक करार दिनांक 12 जून, 2018 उपलब्ध कराया गया है। एसईजेड में सह विकासक द्वारा निवेश के लिए प्रस्तावित राशि 20.00 करोड़ रुपए है।

विकास आयुक्त की सिफारिश :

विकास आयुक्त, कोचीन एसईजेड ने प्रस्ताव की सिफारिश की है।

सह विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत है।

84.6 (iv) क्षेत्रफल में वृद्धि के लिए मैसर्स सिंजेन इंटरनेशनल लिमिटेड जो मंगलौर, कर्नाटक में मंगलौर एसईजेड लिमिटेड में सह विकासक है, का अनुरोध

650.6321 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में उक्त एसईजेड अधिसूचित हो गया है।

मैसर्स सिंजेन इंटरनेशनल लिमिटेड ने 16.2 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में यूनियों के संयोजन को सामान्य अवसंरचना प्रदान करने के लिए ग्रीन फील्ड कैंपस जिसमें यूनियों के संयोजन के लिए प्रमुख अवसंरचनात्मक आवश्यकताओं अर्थात् सक्रिय फार्मास्युटिकल संघटक (एपीएल), उन्नत मध्यवर्ती (एआई), कृषि रसायन (एसी) को पूरा करना शामिल हैं, स्थापित करने तथा उनके कैंपस के लिए प्रमुख अवसंरचना के विकास के लिए उपर्युक्त एसईजेड में सह विकासक बनने के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। अब सह विकासक ने 16.2 हेक्टेयर के मौजूदा क्षेत्र में 2.57 हेक्टेयर क्षेत्र की सीमा तक वृद्धि के लिए अनुरोध किया है।

विकासक के साथ किया गया प्रारूप सह विकासक करार उपलब्ध कराया गया है।

विकास आयुक्त की सिफारिश :

विकास आयुक्त, मंगलौर एसईजेड ने प्रस्ताव की सिफारिश की है।

सह विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत है।

मद संख्या 84.7 : विविध मामले (9 प्रस्ताव)

84.7 (i) सह विकासक द्वारा संचालित किए जाने वाले अधिकृत प्रचालनों के लिए जगन्नाथपुरम, लेमार्थी और ई-बोनांगी, विशाखापट्टनम जिला, आंध्र प्रदेश में फार्मास्युटिकल के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए मैसर्स रामकी फर्मा सिटी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में सह विकासक मैसर्स बायोकान लिमिटेड का प्रस्ताव

247.39 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में उक्त एसईजेड अधिसूचित हो गया था। मैसर्स इंडियाबुल्स इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी लिमिटेड को उपर्युक्त एसईजेड में अवसंरचना सुविधाएं प्रदान करने के लिए 16 जून, 2017 को सह विकासक का दर्जा प्रदान किया गया था।

सह विकासक ने निम्नलिखित अधिकृत प्रचालनों के लिए अनुरोध किया है :

क्र. सं.	अधिकृत गतिविधि का नाम	यूनिटों की संख्या	क्षेत्र प्रति यूनिट, वर्ग मीटर में	कुल क्षेत्र, वर्ग मीटर में
1.	एसईजेड में भवनों सहित अवसंरचना का विकास और रखरखाव	एनए	एनए	50 एकड़ (202350 वर्गमीटर)
2.	अग्निशमन उपकरण और वाटर हाइड्रेंट			
3.	क्लिंग टावर			
4.	बहु प्रभावी बाष्पीकरण संयंत्र			
5.	नाइट्रोजन जेनरेशन प्लांट			
6.	सॉल्वेंट स्टोरेज			
7.	सॉल्वेंट रिकवरी एरिया			
8.	केंद्रीयकृत स्टीम ब्लॉक			
9.	कंप्रेसड एयर सिस्टम			
10.	चिल्ड ब्राइन सिस्टम			
11.	पाइपिंग वितरण			
12.	विद्युत वितरण प्रणाली			
13.	जल भंडारण / वितरण			
14.	ईंधन भंडारण और वितरण (एसकेओ, एचएसडी आदि)			
15.	पार्किंग स्पेस			
16.	काम्पाउण्ड वाल			
17.	लैंडस्केपिंग			
18.	कैंटीन, फूड कोर्ट			
19.	कम्प्यूटर सिस्टम्स, दूरसंचार तथा अन्य संचार सुविधाएं			
	अन्य नियमित गतिविधियां जो एसईजेड में अपेक्षित हैं जैसे कि सुरक्षा एवं हाउसकीपिंग।			
20.				
21.				

विकास आयुक्त की सिफारिश :

विकास आयुक्त, वीएसईजेड ने प्रस्ताव को अग्रेषित किया है।

सह विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत है।

84.7 (ii) मैसर्स डीएलएफ इन्फो सिटी हैदराबाद लिमिटेड को अपने औपचारिक अनुमोदन के अंतरण के लिए मैसर्स डीएलएफ कामर्सियल डवलपर्स लिमिटेड का अनुरोध

मामिडीपल्ली गांव, शमशाबाद मंडल, रंगारेड्डी जिला, तेलंगाना में 10.617 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में आईटी/आईटीईएश के लिए उपर्युक्त एसईजेड को 23 अक्टूबर, 2016 को औपचारिक अनुमोदन प्रदान किया गया था। यह एसईजेड 26 अप्रैल, 2007 को अधिसूचित किया गया।

अब, विकासक ने बताया है कि मैसर्स डीएलएफ कॉमर्शियल डेवलपर्स लिमिटेड (डीसीडीएल) की मैसर्स डीएलएफ इन्फो सिटी हैदराबाद लिमिटेड (डीआईसीएचएल) में व्यवस्था योजना / डी-मर्जर के मामले में नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (एनसीएलटी), नई दिल्ली द्वारा जारी किए गए दिनांक 21.05.2018 के आदेश के तहत, न्यायालय ने डीसीडीएल को निर्देश दिया है कि वह संबंधित नियामक प्राधिकारियों को डी-मर्जर याचिका की सूचना भेजें। इसके परिप्रेक्ष्य में, डीसीडीएल, डीसीडीएल के एसईजेड उपक्रम की (डीआईसीएचएल) में प्रस्तावित व्यवस्था योजना / डिमर्जर के बारे में वीसीईजेड को सूचित करना चाहता है। यह मामला माननीय एनसीएलटी के समक्ष विगत में दिनांक 07.08.2018 को पेश किया गया था।

विकास आयुक्त की सिफारिश :

उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, चूंकि डिमर्जर (डीएलएफ कॉमर्शियल डेवलपर्स लिमिटेड से मैसर्स डीएलएफ इन्फो सिटी हैदराबाद लिमिटेड को एलओए का हस्तांतरण) की प्रक्रिया की सूचना दिनांक 17.05.2018 के अनुदेश संख्या 89 के जारी होने से पहले दी गई थी, अतः डीएलएफ कॉमर्शियल डेवलपर्स लिमिटेड का डीसीडीएल से मैसर्स डीएलएफ इन्फो सिटी हैदराबाद लिमिटेड को एलओए हस्तांतरण करने का उक्त प्रस्ताव विकास आयुक्त, वीएसईजेड द्वारा अग्रेषित किया गया है।

विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत है।

84.6 (iii) नहर से एसईजेड में होते हुए घरेलू टैरिफ क्षेत्र (डीटीए) तक वाटर पाइप लाइन बिछाने की अनुमति प्रदान करने के लिए ग्राम फुरसुंगी, तालुक हवेली, जिला पुणे, महाराष्ट्र में मैसर्स मंजरी स्टड फार्म प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

मैसर्स मंजरी स्टड फार्म प्राइवेट लिमिटेड को 6.11.2006 को आईटीए / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए एलओए प्रदान किया गया और 15.79 हेक्टेयर क्षेत्र में अधिसूचित किया गया था। विकासक ने अब एसईजेड से होते हुए नहर से घरेलू टैरिफ क्षेत्र (डीटीए) तक वाटर पाइप लाइन बिछाने का अनुमोदन मांगा है।

विकासक ने प्रस्तावित वाटर पाइप लाइन का स्केच / लाइन आरेख प्रस्तुत किया है जो एसईजेड, एसपी इन्फोसिटी, सर्वे नं 209 से होते हुए सत्यपुरम सोसाइटी, गांव - फुरसुंगी, तालुका-हवेली, जिला पुणे के पास जाता है।

विकासक ने उल्लेख किया है कि प्रस्तावित वाटर पाइप लाइन जमीन में 1 मीटर गहराई पर होगी और इसका व्यास 150 मिमी होगी।

विकासक ने सूचित किया है कि पाइप लाइन को डीटीए यूनिट द्वारा सभी लागू करों के भुगतान के बाद और जीएसटी के लाभ के बिना खरीदा जाएगा।

विकास आयुक्त की सिफारिश :

विकास आयुक्त, एसईईपीजेड एसईजेड ने बताया है कि एसईजेड से होते हुए घरेलू टैरिफ क्षेत्र (डीटीए) तक वाटर पाइप लाइन बिछाने की मंजूरी के लिए आवेदन की सिफारिश विचारार्थ और अनुमोदनार्थ की गई है।

विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत है।

84.7 (iv) गैर प्रसंस्करण क्षेत्र (पोर्ट एरिया) में सड़क के दोहरे प्रयोग के लिए मैसर्स दाहेज एसईजेड लिमिटेड (डीएसएल) जो दाहेज एसईजेड का विकासक है, का अनुरोध

दाहेज एसईजेड के विकासक मैसर्स दाहेज एसईजेड लिमिटेड (डीएसएल) ने दाहेज एसईजेड, तालुका वागरा, जिला भरूच, गुजरात में (एनपीए) में सर्वेक्षण संख्या 74 / पी, 75 / पी, 79 / पी, 80 / पी, 81 / पी, 82 / पी, 83 / पी, 153 / पी, 154 / पी, 155 / पी, 156 / पी, 157 / पी, 215 / पी के तहत गैर-प्रसंस्करण क्षेत्र (पोर्ट क्षेत्र) में सड़क के दोहरे उपयोग के लिए अनुरोध किया है।

दाहेज एसईजेड के एनपीए में लाइट हाउस, हरि आश्रम और नर्मदा माता मंदिर हैं, जिन्हें दाहेज एसईजेड के बाहर स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है। लाइट हाउस, भारत सरकार के अधिकारी एनपीए में सड़क का उपयोग कर रहे हैं। हरि आश्रम और नर्मदा माता मंदिर बहुत पुराने हैं तथा नर्मदा परिक्रमा

तीर्थयात्रियों और स्थानीय लोगों द्वारा इनका भ्रमण किया जाता है। यहां यह भी उल्लेख किया जाता है कि नर्मदा परिक्रमा तीर्थयात्रियों की सुविधा के लिए बोट बर्थिंग सुविधा के लिए 2509 वर्गमीटर (लगभग) के डी-नोटिफिकेशन के लिए अनुरोध को भी अनुमोदन बोर्ड के अनुमोदन हेतु अग्रेषित किया जा रहा है। इस एप्रोच रोड का आम जनता द्वारा उपयोग और उनकी आवाजाही अपरिहार्य हैं।

इस एनपीए में, डीएसएल ने एसईजेड की यूनिटों द्वारा उपयोग किए जाने हेतु परिवहन की सुविधा के लिए सड़क कार्य का विकास किया है और गैर-प्रसंस्करण क्षेत्र में सुविधाएं उपलब्ध कराई हैं। डीएसएल ने एसईजेड नियम 11क के तहत अप्रोच रोड के दोहरे उपयोग के लिए उपरोक्त उल्लिखित आवेदन प्रस्तुत किया है। एप्रोच रोड के लिए 04-17-34 हेक्टेयर भूमि क्षेत्र की आवश्यकता है। भूमि की लागत के अलावा प्रस्तावित निवेश 9 करोड़ रुपये है। डीएसएल ने राज्य सरकार से एनओसी के लिए आवेदन किया। डीएसएल ने अब तक किसी भी केंद्र सरकार की राजस्व छूट का लाभ नहीं उठाया है और वे अवसंरचना निर्माण या ओ एंड एम गतिविधियों में भी इसका लाभ उठाने का आशय नहीं रखते हैं। डीएसएल ने गुजरात सरकार के आईसी कार्यालय में स्टॉप शुल्क की वापसी के लिए आवेदन किया है, जो प्रक्रियाधीन है। डीसीएल ने एसईजेड अधिनियम और नियमों और / या सक्षम प्राधिकारी द्वारा अधिरोपित किसी भी अन्य शर्तों का पालन किया है।

विकास आयुक्त की सिफारिश :

यह मामला राज्य सरकार से एनओसी के अध्यक्षीन, दाहेज एसईजेड के गैर-प्रसंस्करण क्षेत्र (पोर्ट एरिया) में सड़क के दोहरे उपयोग के लिए अनुमोदन बोर्ड को अनुशंसित किया जाता है।

अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत है।

84.7 (v) फेरो मैंगनीज स्लैग के आयात के लिए मैसर्स अभिजीत फेरो टेक लिमिटेड का अनुरोध

मैसर्स अभिजीत फेरो टेक लिमिटेड को फेरो मैंगनीज और सिलिकॉन मैंगनीज टेक के विनिर्माण और निर्यात के लिए दिनांक 05.03.2010 का एलओए, समय-समय पर यथासंशोधित, प्रदान किया गया था। यूनिट ने 24 मार्च 2012 को उत्पादन शुरू किया तथा 238082 टीपीए की क्षमता तक फेरो मैंगनीज और सिलिको मैंगनीज के लिए संग्रहण, भंडारण, शोधन और परिवहन की सुविधा प्रचालित करने के लिए 31 दिसंबर 2022 तक आंध्र प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से वैध सहमति आदेश प्राप्त किया गया है और 1 दिसंबर 2017 को हानिकर अपशिष्ट प्राधिकार आदेश जारी किया गया। यूनिट ने पहली 5 साल की ब्लाक अवधि के दौरान 1956.78 करोड़ रुपये मूल्य का निर्यात किया है और इस अवधि के दौरान 852.67 करोड़ रुपये का सकारात्मक एनएफई प्राप्त किया है। यूनिट को 24 मार्च 2017 से 23 मार्च 2022 तक 5 साल की अगली अवधि के लिए एसईजेड स्टेटस प्रदान किया गया।

सिलिको मैग्नीज की रिसाइक्लिंग और निर्माण के लिए अपने अधिकृत प्रचालनों के लिए कच्चे माल के रूप में यूनिट को फेरो मैग्नीज स्लैग की आवश्यकता होती है। पहले फेरो मैग्नीज स्लैग के आयात के लिए यूनिट के अनुरोध पर विचार किया गया और पर्यावरण, वन तथा जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा प्रदान किए गए एनओसी के आधार पर 20,000 मीट्रिक टन के लिए 19 जून, 2018 को आयोजित 83वीं बैठक में अनुमोदन बोर्ड द्वारा मंजूरी प्रदान की गई।

पर्यावरण, वन तथा जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली ने दिनांक 13.06.2018 के पत्र के माध्यम से रिसाइक्लिंग उद्देश्य के लिए 50,000 मीट्रिक टन की मात्रा के लिए फेरो मैग्नीज स्लैग के आयात, अन्य लागू सामान्य शर्तों के अधीन, के लिए एनओसी जारी की।

वर्तमान मामला अनुदेश संख्या 47 दिनांक 4 मार्च 2010 के अंतर्गत पिछली प्रथा के अनुसार अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत किया जा रहा है क्योंकि जिस मद के लिए अनुरोध किया गया है वह विदेश व्यापार नीति के अंतर्गत प्रतिबंधित मद है। इसके अलावा एसईजेड अधिनियम की धारा 26 अनुमोदन बोर्ड को किसी अन्य कानून के अंतर्गत अनुमति की अपेक्षा रखने वाली सामग्रियों के लिए एसईजेड यूनिटों को आयात के लिए अनुमोदन प्रदान करने का अधिकार प्रदान करती है क्योंकि इस मद के लिए पर्यावरण, वन तथा जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से अनुमति की आवश्यकता हो सकती है।

विकास आयुक्त की सिफारिश :

विकास आयुक्त, एपीएसईजेड ने मैसर्स अभिजीत फेरो टेक लिमिटेड के 50,000 मीट्रिक टन की मात्रा के लिए फेरो मैग्नीज स्लैग के आयात संबंधी अनुरोध को एसईजेड के लिए अनुमोदन बोर्ड के विचार के लिए अनुमोदन बोर्ड की 84वीं बैठक में प्रस्तुत किए जाने की सिफारिश की है, क्योंकि यूनिट ने पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली से अनुमति और आंध्र प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की सहमति प्राप्त की और प्राधिकरण के आदेश को 31.12.2022 तक नवीनीकृत किया गया।

विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत है।

84.7 (vi) एसईजेड भाग ए और एसईजेड भाग बी में एचबीएस फार्मा एसईजेड प्राइवेट लिमिटेड जो आटोमोबाइल, आटोमोबाइल एंसिलरी एवं इंजीनियरिंग के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड है, का विभाजन

मैसर्स एचबीएस फार्मा एसईजेड प्राइवेट लिमिटेड, पनोली, जिला: भरुच मैसर्स एचबीएस फार्मा एसईजेड प्राइवेट लिमिटेड, पनोली, जिला: भरुच को दिनांक 17.06.2018 के औपचारिक अनुमोदन के तहत जीआईडीसी, पनोली इंडस्ट्रीयल एस्टेट, पनोली, जिला भरुच, गुजरात में फार्मास्यूटिकल उत्पादों के लिए एक क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड की स्थापना के लिए अनुमोदन प्राप्त था। 125-04-94 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में

उपर्युक्त एसईजेड 09 जनवरी, 2009 को अधिसूचित किया गया था। औपचारिक अनुमोदन की अवधि 16 जून, 2009 तक वैध है।

इसके बाद, अनुमोदन बोर्ड ने 83वीं बैठक में उपरोक्त एसईजेड के लिए क्षेत्र में "फार्मास्युटिकल" से "ऑटोमोबाइल, ऑटोमोबाइल एंसीलरी और इंजीनियरिंग" में परिवर्तन के अनुरोध को मंजूरी दी थी।

तत्पश्चात, मैसर्स महनसरिया टायर्स प्राइवेट लिमिटेड से उक्त एसईजेड में एक नई यूनिट स्थापित करने के लिए विकास आयुक्त का कार्यालय, केएसईजेड को अनुरोध प्राप्त हुआ। दिनांक 31.07.2018 को हुई बैठक में यूनिट अनुमोदन समिति द्वारा इस पर विचार किया गया था और उक्त एसईजेड में यूनिट की स्थापना के लिए दिनांक 02.08.2018 को मंजूरी पत्र प्रदान किया गया था।

अब, मैसर्स एचबीएस फार्मा एसईजेड प्राइवेट लिमिटेड (विकासक) ने बताया है कि उन्होंने मैसर्स महनसरिया टायर्स प्राइवेट लिमिटेड, जो कि एक ऑटोमोबाइल, ऑटोमोबाइल एंसीलरी और इंजीनियरिंग माल विनिर्माण कंपनी है और जिसका इस व्यवसाय में उत्कृष्ट ट्रैक रिकॉर्ड है और जो तीन चरणों में 1000 करोड़ रुपये की अनुमानित परियोजना लागत पर एक ग्रीनफील्ड परियोजना की स्थापना करने जा रही है, को लगभग 5,15,000 वर्ग मीटर अर्थात् 309 एकड़ में से 127 एकड़ भूमि (कुल एसईजेड भूमि का लगभग 40%) की सब-लीजिंग के लिए बातचीत पूरी कर ली है। यह परियोजना दुनिया भर के 120 से अधिक देशों में 1500 करोड़ रुपये से अधिक का निर्यात करेगी और यह देश के लिए 5 वर्षों की अवधि के भीतर एक निवल विदेशी मुद्रा अर्जक होगी। इसके अलावा, यह भी उल्लेख किया गया है कि परियोजना से लगभग 1500 रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे। इसके अलावा, उन्होंने यह भी बताया कि उपरोक्त मैसर्स महनसरिया टायर्स प्राइवेट लिमिटेड की प्रस्तावित परियोजना में निर्यात के लिए और अधिक परिचालन दक्षता के लिए विभिन्न अंतरराष्ट्रीय मानकों को पूरा करना शामिल होगा, इसलिए उक्त कंपनी अर्थात् मैसर्स महनसरिया टायर्स प्राइवेट लिमिटेड ने एक शर्त रखी है उन्हें सब-लीज पर दी जा रही भूमि को एक अलग एसईजेड के रूप में अलग किया जाए। यद्यपि मैसर्स महनसरिया टायर्स प्राइवेट लिमिटेड को केवल 100 एकड़ भूमि की आवश्यकता है, लेकिन कंपनी इस तरह की भूमि को अलग-अलग क्षेत्र के विशिष्ट एसईजेड में अलग करना संभव बनाने के लिए लगभग 127 एकड़ भूमि को सब-लीज पर देने की इच्छुक है तथा इसे एसईजेड अधिनियम और नियमों के अनुसार एकल यूनिट एसईजेड बनाने का आशय रखती है।

तदनुसार, मैसर्स एचबीएस फार्मा एसईजेड प्राइवेट लिमिटेड ने उक्त ऑटोमोबाइल, ऑटोमोबाइल एंसीलरी और इंजीनियरिंग एसईजेड को दो एसईजेड अर्थात् एचबीएस एसईजेड भाग-ए, जो लगभग 185 एकड़ का होगा जिसमें 100 एकड़ का प्रसंस्करण जोन और 85 एकड़ का गैर-प्रसंस्करण जोन शामिल है तथा एचबीएस एसईजेड भाग-बी, जो लगभग 127 एकड़ का होगा जिसमें 120 एकड़ का प्रसंस्करण जोन और 7 एकड़ का गैर-प्रसंस्करण जोन शामिल है में उप-विभाजित करने का अनुरोध किया है। उन्होंने यह भी उल्लेख किया है कि एचबीएस एसईजेड के भाग-ए और भाग-बी अर्थात् एचबीएस एसईजेड भाग-एक और

एचबीएस एसईजेड भाग-बी दो स्वतंत्र एसईजेड होंगे जिनमें जीआईडीसी रोड से अलग-अलग प्रवेश/निकास बिंदु होंगे और मैसर्स महनसरिया टायर्स प्राइवेट लिमिटेड एसईजेड के भाग-बी में पृथक यूनिट होगी। उन्होंने उप-प्रभाग के लिए कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा पारित प्रस्ताव और उक्त एचबीएस एसईजेड भाग-ए और एचबीएस एसईजेड भाग-बी का निर्धारण करते हुए लेआउट भी प्रस्तुत किया है।

मैसर्स एचबीएस फार्मा एसईजेड प्राइवेट लिमिटेड ने क्षेत्र विशिष्ट के निम्नलिखित उप-प्रभाग अर्थात् ऑटोमोबाइल, ऑटोमोबाइल एंसीलरी और इंजीनियरिंग एसईजेड को अनुमति और अनुमोदन प्रदान करने का अनुरोध किया है:

- (क) 185 एकड़ में ऑटोमोबाइल, ऑटोमोबाइल एंसीलरी और इंजीनियरिंग एसईजेड के रूप में एचबीएस एसईजेड भाग-ए
- (ख) 127 एकड़ में ऑटोमोबाइल, ऑटोमोबाइल एंसीलरी और इंजीनियरिंग एसईजेड के रूप में एचबीएस एसईजेड भाग-ए

यह उल्लेख करना उचित है कि एसईजेड की स्थापना के लिए न्यूनतम भूमि क्षेत्र की आवश्यकता को दिनांक 13.09.2013 के डीओसी के अनुदेश संख्या डी.12/45/2009-एसईजेड के माध्यम से संशोधित किया गया है, जिसमें यह निर्दिष्ट है कि "किसी सेक्टर विशिष्ट एसईजेड की स्थापना के लिए, न्यूनतम 50 हेक्टेयर भूमि क्षेत्र की आवश्यकता है" और तदनुसार, यदि भाग-ए और भाग-बी में मौजूदा एचबीएस एसईजेड के उप-विभाजन की अनुमति दी जाती है, तो यह दोनों भागों में, न्यूनतम भूमि, उक्त अनुदेश में यथानिर्दिष्ट, आवश्यकता के मानदंडों को पूरा करेगा।

विकास आयुक्त की सिफारिश :

जोनल विकास आयुक्त, कांडला-एसईजेड ने उक्त ऑटोमोबाइल, ऑटोमोबाइल एंसीलरी और इंजीनियरिंग एसईजेड के दो एसईजेड अर्थात् 185 एकड़ में ऑटोमोबाइल, ऑटोमोबाइल एंसीलरी और इंजीनियरिंग एसईजेड के रूप में एचबीएस एसईजेड भाग-ए तथा 127 एकड़ में ऑटोमोबाइल, ऑटोमोबाइल एंसीलरी और इंजीनियरिंग एसईजेड के रूप में एचबीएस एसईजेड भाग-बी में उप-विभाजन के लिए विकासक के अनुरोध की सिफारिश की है।

विकासक का प्रस्ताव अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत है।

84.7(vii) एलओपी के नवीकरण के लिए प्लास्टिक के अपशिष्ट एवं स्क्रेप की रिसाइकलिंग का काम करने वाले मैसर्स अनीता एक्सपोर्ट्स जो कांडला एसईजेड की यूनिट है, का अनुरोध

मैसर्स अनीता एक्सपोर्ट्स, जो केएएसईजेड में प्लास्टिक की रिसाइकलिंग करने वाली यूनिट है, को प्लास्टिक अपशिष्ट एवं स्क्रेप की रिसाइकलिंग के लिए तथा फटे पुराने एवं प्रयुक्त कपड़ों की री-प्रोसेसिंग के लिए 15 मई 1996 को एलओए प्रदान किया गया।

अनुमोदन बोर्ड द्वारा उनके एलओए के नवीकरण के प्रस्ताव को 3 जुलाई, 2017 को आयोजित 78वीं बैठक में अस्वीकार कर दिया गया [एजेंडा मद संख्या 78.5 (ii)]। यूनिट ने अहमदाबाद स्थित माननीय गुजरात उच्च न्यायालय के समक्ष 2017 का एससीए संख्या 19048 दायर किया। अब माननीय गुजरात उच्च न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 8 मई, 2018 के माध्यम से अनुमोदन बोर्ड के विस्तार / नवीकरण के लिए प्रस्ताव को अस्वीकार करने के निर्णय को रद्द एवं अपास्त कर दिया है। अनुमोदन बोर्ड के निर्णय को रद्द करते समय माननीय गुजरात उच्च न्यायालय ने टिप्पणी की है कि :

"इस मामले के उपर्युक्त तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करने के बाद हमारी यह राय है कि याचिकाकर्ता के मामले पर प्राधिकरण द्वारा विशेष रूप से अन्य मौजूदा यूनिटों के साथ समानता की जांच करने के लिए पुनर्विचार करने की आवश्यकता है जिनको याचिकाकर्ता के अनुसार विस्तारित अवधि तक प्रचालन में न होने के बावजूद नवीकरण प्रदान किया गया है।

इन टिप्पणियों के साथ यह रिट याचिका इसके द्वारा आंशिक रूप से अनुमत की जाती है। विस्तार / नवीकरण के प्रस्ताव को अस्वीकार करने वाले प्रतिवादी संख्या 2 (जो 3 जुलाई 2017 को आयोजित बैठक के कार्यवृत्त की मद संख्या 78.5 (2) पर दर्ज किया गया है) द्वारा पारित आदेश और आवरण पत्र दिनांक 14 जुलाई 2017 इसके द्वारा निरस्त और अपास्त किया जाता है।"

उपर्युक्त निर्णय में माननीय उच्च न्यायालय की टिप्पणी उच्च न्यायालय के समक्ष अपने एससीए में मैसर्स अनीता एक्सपोर्ट्स के इस दावे पर आधारित है कि विस्तारित अवधि तक गैर प्रचालन यूनिटों के समान मामलों को दो समान यूनिटों के मामले में अनुमोदन बोर्ड द्वारा उनके एलओए के नवीकरण के लिए अनुमोदन प्रदान किया गया जैसा कि यूनिट द्वारा अपनी याचिका में दावा किया गया है, एक मामला मैसर्स आरआर वाइब्रेंट पॉलीमर्स लिमिटेड, केएएसईजेड (30 दिसंबर 2015 को आयोजित अनुमोदन बोर्ड की 68वीं बैठक) और दूसरा मामला मैसर्स प्लास्टिक प्रोसेसिंग एंड एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, नोएडा एसईजेड (23 फरवरी 2016 को आयोजित अनुमोदन बोर्ड की 69वीं बैठक) से संबंधित है जो अन्यथा निष्क्रिय एवं गैर क्रियाशील पड़ी थी और विशेष रूप से अन्य मौजूदा यूनिटों के साथ समानता की जांच करने के लिए प्राधिकरण द्वारा याचिकाकर्ता के मामले पर पुनर्विचार करने का निर्देश दिया गया जिनको याचिकाकर्ता के अनुसार विस्तारित अवधि तक क्रियाशील न होने के बावजूद नवीकरण प्रदान किया गया।

तदनुसार, यूनिट ने अपने पत्र दिनांक 16 मई 2018 के माध्यम से न्यायालय के उपर्युक्त आदेश के आलोक में पुनर्विचार करने के लिए अपना मामला प्रस्तुत किया है तथा यह भी वचन दिया है कि :

- वे नीति दिशानिर्देश दिनांक 17 सितंबर 2013 से सहमत हैं और इसका संशोधन दिनांक 13 फरवरी 2018 उनको स्वीकार्य होगा।
- उन्होंने प्रचालन बहाल करने के लिए नई मशीनरी के लिए आर्डर दिया है और कोटेशन तथा क्रय आदेश की प्रति प्रस्तुत की है।
- वे इस परियोजना में लगभग 200 व्यक्तियों को रोजगार प्रदान करेंगे।
- वे सकारात्मक एनएफईई प्राप्त करेंगे तथा मंत्रालय की नीति के अनुसार भौतिक निर्यात करेंगे।
- उन्होंने प्लांट एवं मशीनरी तथा भवन में 210 लाख रुपए का निवेश किया है।

उन्होंने नीति दिशानिर्देश दिनांक 17 सितंबर 2013 तथा भौतिक निर्यात की शर्तों के संबंध में मंत्रालय के पत्र दिनांक 13 फरवरी 2018 के माध्यम से किए गए संशोधन के अनुपालन के लिए हलफनामा भी प्रस्तुत किया है।

माननीय उच्च न्यायालय की टिप्पणियों के अनुसार, एजेंडा और कार्यवृत्त के आधार पर अन्य यूनिटों के मामलों के साथ उनके मामले की समानता का विवरण नीचे सारणी में प्रस्तुत किया गया है :

क्र. सं.	प्रस्ताव का ब्यौरा	मैसर्स आरआर वाइब्रेंट पॉलिमर्स लिमिटेड	मैसर्स प्लास्टिक प्रोसेसर्स एंड एक्सपोर्टर्स प्राइवेट लिमिटेड	मैसर्स अनीता एक्सपोर्ट्स
1.	अनुमोदन बोर्ड की बैठक में निर्णित बीओए एजेंडा मद	68वां बीओए 30 दिसंबर, 2015 - मद संख्या 68.5 (vi)	69वां बीओए 23 फरवरी, 2016 - मद संख्या 69.11 (v)	78वां बीओए 03 जुलाई, 2017 - मद संख्या 78.5 (ii)
2.	मूल एलओए दिनांक	27 नवंबर 1996	05.11.1997	15 मई 1996
3.	प्रचालन न करने के वर्षों की संख्या	15 वर्ष	8 वर्ष	7 वर्ष
4.	पिछली वैधता कब तक थी	31 अक्टूबर 2000	30 नवंबर 2013	30 सितंबर, 2012
5.	यूनिट के दावे के अनुसार गैर गतिविधि के कारण	वर्ष 2000 में उनके कारखाने में आग लग गई और बीमा कंपनी ने उनका दावा अस्वीकार कर दिया तथा बैंक ने रिकवरी के लिए	2008 में वैश्विक मंदी के कारण उनके आर्डर निलंबित हो गए तथा 2009-2010 से यूनिट घाटे में चली गई। टुकड़ों में उनके	टुकड़ों में उनके एलओए की अवधि कम समय के लिए बढ़ाए जाने के कारण वे निर्यात आर्डर नहीं दे सके।

		उनको नोटिस जारी किया, विशाल ईएम रेंट बकाया था।	एलओए की अवधि कम समय के लिए बढ़ाए जाने के कारण वे निर्यात आर्डर नहीं दे सके।	
6.	संशोधित बहाली योजना	बैंक एवं बीमा कंपनी के साथ मामले के निस्तारण के बाद उन्होंने अपनी यूनिट के पुनर्गठन का प्रस्ताव प्रस्तुत किया और प्लांट एवं मशीनरी पर 300 लाख रुपए खर्च किए। उन्होंने नीति दिनांक 17 सितंबर 2013 के प्रावधानों का पालन करने तथा 69.50 लाख रुपए के किराए का भुगतान करने का वचन दिया है।	उन्होंने नीति दिनांक 17 सितंबर 2013 के प्रावधानों का पालन करने का वचन दिया है तथा 200 व्यक्तियों के लिए रोजगार तथा 5 वर्षों में 7362.80 लाख रुपए के एनएफई के साथ 250 केडब्ल्यू के 2 जेनरेटर सेट के साथ 10 एग्लोमरेटर प्लांट स्थापित करने की योजना बनाई है।	उन्होंने नीति दिनांक 17 सितंबर 2013 के प्रावधानों का पालन करने का वचन दिया है तथा प्रचालन बहाल करने के लिए नई मशीनरी के लिए आर्डर दिया है तथा 200 व्यक्तियों के लिए रोजगार के साथ प्लांट एवं मशीनरी तथा भवन में 210 लाख रुपए का निवेश किया है।
7.	गैर गतिविधि से पूर्व एनएफई	सकारात्मक	ऋणात्मक	सकारात्मक
8.	क्या भौतिक निर्यात की शर्त सहित यथा संशोधित नीति दिशानिर्देश दिनांक 17 सितंबर 2013 की शर्तों से सहमत हैं	हां	हां	हां
9.	परिसर	उन्हें दिनांक 31.03.2005 को निष्कासित किया गया था और नवीनीकरण के बाद उन्हें अधिकार देते हुए फिर से बहाल किया गया था	ज्ञात नहीं	वे भिन्न-भिन्न अवस्थितियों में 2 भूखंडों के स्वामी हैं।

10.	मशीनरी	आग में जलकर राख हो गई	नई अतिरिक्त मशीनरी खरीदे जाने का प्रस्ताव है	कुछेक पुरानी मशीनरी उपलब्ध हैं और अतिरिक्त नई मशीनरी के लिए पहले ही ऑर्डर किया जा चुका है।
11.	विद्युत कनेक्शन	नहीं है	ज्ञात नहीं	मौजूद है
12.	वाटर कनेक्शन	नहीं है	ज्ञात नहीं	मौजूद है
13.	क्या निष्क्रिय होने के समय एसईजेड स्कीम में कार्यशील था	सं.	पता नहीं	एसईजेड स्कीम के तहत अत्यधिक
14.	क्या किराया बकाया है	16 साल के किराए का भुगतान नहीं किया गया है	पता नहीं	दिसंबर 2017 तक किराए का भुगतान किया गया है
15.	गुजरात प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से सहमति आदेश	नहीं है	पता नहीं	अनीता एक्सपोर्ट्स के नाम में आवंटित प्लॉट पर गुजरात प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से सहमति उपलब्ध है
16.	क्या विकास आयुक्त द्वारा उनके मामले की सिफारिश की गई है	हां	हां	हां

19 जून 2018 को आयोजित अनुमोदन बोर्ड की 83वीं बैठक में प्रस्ताव पर विचार किया गया तथा विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने इस निदेश के साथ प्रस्ताव को आस्थगित कर दिया कि विकास आयुक्त, केएएसईजेड यूनिट का निरीक्षण करेंगे और यूनिट के रिकार्डों तथा माननीय गुजरात उच्च न्यायालय द्वारा अपने आदेश दिनांक 8 मई 2018 में उल्लिखित समान मामलों की जांच करने के बाद तथ्यात्मक रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे।

विकास आयुक्त, केएएसईजेड ने जेडीसी और केएएसईजेड के अन्य अधिकारियों के साथ दिनांक 22.06.2018 को यूनिट का दौरा किया। यूनिट के निरीक्षण के दौरान, प्लास्टिक के कचरे और स्क्रेप की रिसाइक्लिंग के लिए कुछ पुरानी मशीनरी जैसे कि एग्लोमरेट मशीन, कवर की गई स्थिति में जनरेटर आदि उनके आवंटित प्लॉट नंबर 419-बी में पाए गए जो प्लास्टिक के कारोबार के गैर-संचालन और उनके एलओए का गैर-नवीकरण के कारण बेकार पड़े हैं।

विकास आयुक्त ने सूचित किया कि उक्त यूनिट ने प्लास्टिक कचरे और स्क्रेप की रिसाइक्लिंग के लिए पहले ही मैसर्स ब्राहमणी इंजीनियरिंग वर्क्स, शेड नं0 के-42, आईटीआई के सामने, जीआईडीसी, गांधीधाम

(कच्छ) से 66.80 लाख रुपये की लागत से अतिरिक्त नई मशीनरी जैसे एग्लोमरेट मशीन, ब्लेड शेपिंग मशीन, संग्रह के लिए स्टील ट्रे, अतिरिक्त इलेक्ट्रिक मोटर (हैवी ड्यूटी), इलेक्ट्रिक केबल, डीजल जनरेटर सेट (250 केवीए) का ऑर्डर दिया है। इसके अलावा, उन्होंने बताया है कि उन्होंने प्लांट, मशीनरी और भवन में पूरी तरह से 210 लाख रुपये का निवेश किया है। जहां तक जीपीसीबी से सहमति आदेश का संबंध है, यदि यूनिट के एलओए को अनुमोदन बोर्ड द्वारा नवीनीकृत किया जाता है तो यूनिट को एक बार नए सहमति आदेश प्राप्त करने की आवश्यकता होगी।

तदनुसार, मैसर्स अनीता एक्सपोर्ट्स का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के समक्ष पुनर्विचार के लिए प्रस्तुत है।

अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के समक्ष विचार के लिए प्रस्तुत है।

84.7(viii) दाहेज एसईजेड जेड में मैसर्स श्रीकुंज हास्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड के संबंध में सह विकासक का दर्जा अनुमोदित करने के लिए अनुरोध

मैसर्स दाहेज हाँस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड को भरूच, गुजरात में बहु उत्पाद एसईजेड, जिसे मैसर्स दाहेज एसईजेड लिमिटेड ने 26.08.2009 को अनुमोदन बोर्ड की दिनांक 11.08.2009 को आयोजित 35 वीं बैठक में अनुमोदित किए गए गैर-प्रसंस्करण क्षेत्र में हाँस्पिटैलिटी प्रोजेक्ट के लिए विकसित किया, सह विकासक का दर्जा दिया गया।

विकासक (दाहेज एसईजेड लिमिटेड) और सह विकासक (दाहेज हाँस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड) ने दिनांक 19.03.2009 को सह विकासक करार किया। सह विकासक द्वारा 30 साल की अवधि के लिए परियोजना में निवेश किया जाना था और इस अवधि के दौरान उक्त स्थिति में कोई भी परिवर्तन विकासक की पूर्व अनुमित से किया जाना था। इसके अलावा, सह विकासक को पट्टे की अवधि के दौरान भूमि पर अपने पट्टे के अधिकार को, विकासक की स्वीकृति के अध्यक्षीन, परियोजना लागत के संबंध में ऋण के लिए प्रतिभूति के रूप में किसी भी बैंक या वित्तीय संस्थान को हस्तांतरित करने का अधिकार होगा।

सह विकासक, मैसर्स दाहेज हाँस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड (वर्तमान में मैसर्स कैम्बे एसईजेड होटल्स प्राइवेट लिमिटेड के रूप में जाना जाता है) ने स्माल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया (सिडबी), अहमदाबाद से 13.32 करोड़ रुपये का ऋण लिया था और ऋण की अदायगी में असफल रहा/चूक की। इसके बाद, सिडबी के अधिकारियों ने दिनांक 14.12.2016 को विकास आयुक्त, दाहेज एसईजेड से मुलाकात की और सिडबी ने भरूच के जिला कलेक्टर की मदद से सह विकासक के परिसर को दिनांक 7.10.2016 को सील कर दिया और सिडबी ने कब्जे में लेने के बाद सह विकासक का कामकाज रोक दिया गया। सिडबी ने अधिनियम और सुरक्षा हित प्रवर्तन नियमावली 2002 के प्रावधान के तहत दाहेज एसईजेड में स्थित उधारकर्ता की प्लॉट नं जेड /4/1 स्थित चल संपत्ति के साथ अचल संपत्ति की बिक्री

सूचना जारी की और दिनांक 19 नवंबर, 2016 को प्रमुख समाचार पत्रों में प्रकाशित की गई और दिनांक 28 दिसंबर, 2016 को ई-नीलामी आयोजित की गई।

विकास आयुक्त, दाहेज एसईजेड ने बताया कि मैसर्स श्रीकुंज हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड ने प्रस्तावित एसवीपी अर्थात् श्रीकुंज हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड (खरीददार) के प्रोमोटर्स, निदेशकों के पक्ष में स्व प्रमाणन जारी करते हुए वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 का 54 (एसएआरएफएईएसआई) के तहत सिडबी से दाहेज एसईजेड के सह विकासक, मैसर्स कैम्बे सेज होटल्स प्राइवेट लिमिटेड के दाहेज एसईजेड के गैर-प्रसंस्करण क्षेत्र में स्थित उपरोक्त भूखंड संख्या जेड/4/1 जिसका क्षेत्रफल लगभग 26302.61 वर्गमीटर है, की चल और अचल संपत्तियों को दिनांक 20.01.2017 को अधिगृहीत कर लिया।

मैसर्स श्रीकुंज हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड ने संशोधित सह विकासक करार अन्य बातों के साथ-साथ यह कहते हुए प्रस्तुत किया है कि पिछले सह-विकासक मैसर्स कैम्बे एसईजेड लिमिटेड द्वारा दाहेज एसईजेड में पूर्व सह विकासक के रूप में लागू शुल्कों और करों की बाध्यता, यदि कोई हो, के संबंध में उठाये गये लाभ को नए सह विकासक मैसर्स श्रीकुंज हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड को हस्तांतरित किया जाएगा और यह नए सह विकासक द्वारा एसएआरएफएईएसआई अधिनियम के तहत परिसंपत्तियों पर कब्जा किए जाने के बाद से समान नियमों और शर्तों के अनुसार निरंतर दायित्व का निर्वहन करने के रूप में इनके निर्वहन के लिए उनके दायित्व के तहत होगा।

यह कहा गया है कि सिडबी ने यह प्रमाणित किया है कि संबंधित भूखंड का बिक्री प्रमाण पत्र लीज होल्ड रिमूवेबल प्रॉपर्टी की अन-एक्सपायर्ड लीज अवधि की बिक्री को संदर्भित करता है।

दिनांक 04.04.2018 को आयोजित बीओए की 82 वीं बैठक में मैसर्स श्रीकुंज हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड के संबंध में सह विकासक के दर्जे के प्रस्ताव पर विचार किया गया। विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने क्षेत्रीय विकास आयुक्त के माध्यम से सिडबी द्वारा जारी किए गए बिक्री प्रमाण पत्र के औपचारिक संशोधन तथा मैसर्स दाहेज हास्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड (अब मैसर्स कांबे एसईजेड होटल्स प्राइवेट लिमिटेड) के साथ सह विकासक करार के निरसन की प्रस्तुति के अधीन प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की।

विकास आयुक्त, केएसईजेड ने सिडबी द्वारा श्रीकुंज हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड के पक्ष में जारी दिनांक 24.05.2018 के बिक्री प्रमाण पत्र में संशोधन प्रस्तुत किया है। इसके अलावा, विकास आयुक्त, दाहेज ने सूचित किया है कि मैसर्स दाहेज प्राइवेट लिमिटेड (अब मैसर्स कैम्बे एसईजेड होटल्स प्राइवेट लिमिटेड) के साथ सह विकासक करार निरर्थक / अधिक्रमण हो गया है। दिनांक 23.03.2018 को श्रीकुंज हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड के साथ संशोधित सह विकासक करार भी किया गया है। इस प्रकार, अनुमोदन बोर्ड द्वारा निर्दिष्ट शर्तों को पूरा किया गया है।

इसी दौरान, दिनांक 04.04.2018 को आयोजित अनुमोदन बोर्ड की 82वीं बैठक में लिए गए निर्णय को अमान्य करने और खारिज करने के अनुरोध के साथ मैसर्स कैम्बे एसईजेड होटल्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा अहमदाबाद में माननीय गुजरात उच्च न्यायालय के समक्ष एक स्पेशल सिविल एप्लिकेशन संख्या 10376/2018 दायर किया गया है। अब यह मामला दिनांक 23.08.2018 को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया है।

उपरोक्त पैरा में स्थिति को अनुमोदन के लिए अनुमोदन बोर्ड के ध्यान में लाया गया है।

84.7(ix) 5.04 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में एसईजेड के सेक्टर को बहु सेवा से बदलकर आईटी / आईटीईएस एसईजेड करने के लिए मैसर्स पर्सपीनिया डवलपर प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

मैसर्स पर्सपीनिया डवलपर प्राइवेट लिमिटेड (जिसे पहले मैसर्स सनी विस्टा रियल्टर्स प्राइवेट लिमिटेड के नाम से जाना जाता था) को दिनांक 15.10.2007 को औपचारिक स्वीकृति प्रदान की गई है। 139.83 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में उपर्युक्त एसईजेड 19 फरवरी, 2009 को अधिसूचित किया गया था। 139.83 हेक्टेयर के कुल अधिसूचित क्षेत्र में से, प्रसंस्करण और गैर-प्रसंस्करण क्षेत्र प्रत्येक 69.92 हेक्टेयर के थे।

ब्याज का भुगतान करने में मैसर्स सनी विस्टा प्राइवेट लिमिटेड की विफलता के कारण और तत्पश्चात् बैंक द्वारा नीलामी के कारण, उक्त एसईजेड को मैसर्स पर्सपीनिया डवलपर प्राइवेट लिमिटेड ने अनुमोदन बोर्ड की दिनांक 19 मई, 2015 को आयोजित 65वीं बैठक के अनुमोदन से अधिगृहीत कर लिया। तथापि, अनुमोदन बोर्ड ने अवसंरचना के दोहरे उपयोग की अनुमति प्रदान करने के प्रस्ताव को अनुमोदित नहीं किया और राज्य सरकार से एनओसी प्राप्त करने के बाद प्राप्त किए गए ड्यूटी लाभों के भुगतान के अधीन विकासक को उक्त एसईजेड से गैर प्रसंस्करण क्षेत्र में 1077419 वर्गफीट (100094 वर्गमीटर) के कुल क्षेत्रफल को विमुक्त करने का निदेश दिया था जहां 1012 आवासीय यूनिटों का निर्माण किया गया है। विकासक ने साथ ही 139.83 हेक्टेयर के कुल अधिसूचित क्षेत्र में से 134.79 हेक्टेयर के क्षेत्र में कमी के लिए प्रस्ताव दिया है जिसे फाइल पर संसाधित किया जाएगा। राज्य सरकार ने प्रस्तावित पूर्ण-अधिसूचना पर उनकी अनापत्ति बता दी है।

क्षेत्र में परिवर्तन की मांग के कारण :

2009 के बाद से विकासक 139 हेक्टेयर भूमि पर क्षेत्र विशिष्ट बहु-सेवा एसईजेड विकसित कर रहा है और 700 करोड़ से अधिक का निवेश किया है, जिसमें भूमि, अवसंरचना और भवन विकास शामिल है। अब, उन्हें पता चल रहा है कि यद्यपि उन्होंने प्रसंस्करण क्षेत्र में अपेक्षित अवसंरचना सहित वाणिज्यिक भवनों के 1,15,000 वर्ग मीटर का विकास किया है, संभवतः वैश्विक आर्थिक मंदी के कारण उद्यमियों द्वारा पर्याप्त रुचि नहीं दिखाई गई है, अतः बहु-सेवा एसईजेड का विकास गैर व्यवहार्य हो गया है।

आईटी / आईटीईएस एसईजेड के लिए एसईजेड नियमावली के अनुसार आवश्यक निर्मित क्षेत्र के साथ क्षेत्र में बदलाव के लिए प्रस्तावित भूमि आईटी / आईटीईएस एसईजेड की शर्तों को पूरा करेगी।

विकास आयुक्त की सिफारिश :

विकास आयुक्त, एसईईपीजेड एसईजेड ने प्रस्ताव की सिफारिश की है।

मद संख्या 84.8 : अनुमोदन बोर्ड के समक्ष अपील (14 अपीलों)

84.8(i) विदेश व्यापार विकास एवं विनियमन अधिनियम 1992 की धारा 13 तथा उक्त अधिनियम की धारा 11 के तहत 45.21 लाख रुपए (45.21 करोड़ रुपए का धनात्मक एनएफई प्राप्त न करने का 1 प्रतिशत) का अर्थ दंड लगाने के लिए यूनिट अनुमोदन समिति, एफएसईजेड द्वारा पारित आदेश दिनांक 13 अप्रैल 2018 के बीच मैसर्स कोस्टल एनर्जी लिमिटेड जो एफएसईजेड की यूनिट है की अपील दिनांक 18 मई 2018

84.8 (ii) यूनिट अनुमोदन समिति द्वारा आदेश दिनांक 2 मार्च 2012 के माध्यम से निरस्त किए गए एलओए की अवधि बढ़ाने / पुनः वैध करने की प्रार्थना के साथ कोस्टल एनर्जी लिमिटेड के निदेशक श्री बृजेश कुमार ठाकुर की अपील दिनांक 28 जून 2018

आदेश जिसके विरुद्ध अपील की गई है, का सारांश

मैसर्स कोस्टल एनर्जी लिमिटेड को बायो डीजल (मुख्य) और ग्लिसरीन (सह उत्पाद) के विनिर्माण और निर्यात के लिए दिनांक 24.3.2006 को एलओपी प्रदान किया गया और बाद में दो और वस्तुओं अर्थात् "साबुन और साबुन नूडल्स" को शामिल किया गया ।

यूएसी ने गैर-कार्यनिष्पादन और सकारात्मक एनएफई प्राप्त करने में विफलता, जो एसईजेड नियमावली, 2006 के नियम 53 के साथ पठित एलओए, एल्यूटी के उपबंधों का उल्लंघन है, के आधार पर एसईजेड अधिनियम, 2005 की धारा 16 के तहत अपने आदेश दिनांक 02 मार्च, 2012 के माध्यम से एलओए को रद्द कर दिया।

वित्त वर्ष 2008-09 से 2010-11 की अवधि के लिए यूनिट की वार्षिक कार्य-निष्पादन की निगरानी की रिपोर्ट दिनांक 21 जनवरी, 2015 को आयोजित यूएसी की 67वीं बैठक में प्रस्तुत की गई थी और समिति ने नोट किया कि फर्म / यूनिट अर्थात् मैसर्स कोस्टल एनर्जी लिमिटेड 45.21 करोड़ रुपये की सकारात्मक एनएफई को प्राप्त करने में असफल रही।

दिनांक 23 फरवरी, 2015 को यूनिट को इस संबंध में कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था कि विदेशी व्यापार नीति, हैंडबुक ऑफ प्रोसिजर्स, विदेशी व्यापार (विकास एवं विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2010, विदेशक व्यापार (विनियमन) नियमावली, 1993 के नियम 10 के साथ पठित विदेशी व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 की धारा 11 के तहत एलओपी एवं एलयूटी के उल्लंघन तथा वर्तमान में अधिनियमित एसईजेड अधिनियम, 2005 की धारा 16 और बिना किसी निर्यात के एसईजेड में स्थान का अधिभोग करते हुए एसईजेड नियमावली, 2006 के उपबंधों का उल्लंघन करने के लिए जुर्माना क्यों नहीं लगाया जाना चाहिए। इसके अलावा, उन्हें यह कारण बताने के लिए भी निर्देशित किया गया है कि विदेशी व्यापार (विनियमन) नियमावली, 1993 के नियम 9 के तहत एक आदेश क्यों न जारी किया जाए।

दिनांक 11 फरवरी, 2016 और 01 मार्च, 2016 को तत्कालीन विकास आयुक्त द्वारा यूनिट की दो व्यक्तिगत सुनवाई की गई। दिनांक 18 नवंबर, 2016 को यूनिट द्वारा कारण बताओ नोटिस का उत्तर प्रस्तुत किया गया। यूनिट को दिनांक 16 अगस्त, 2017 को एक और कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था।

यूएसी ने 17 जनवरी, 2018 को आयोजित 97वीं बैठक में अभिलेखों की जांच करने पर यह पाया कि यूनिट ने फाल्टा एसईजेड यूनिट के मामले में कुल मिलाकर 45.21 करोड़ रुपये के सकारात्मक एनएफई को प्राप्त करने में विफल रहते हुए एलओपी की शर्त का उल्लंघन किया है, जिससे सरकारी राजस्व का आर्थिक नुकसान हुआ।

विदेशी व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 की धारा 13 और उक्त अधिनियम की धारा 11 के तहत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यूएसी द्वारा दिनांक 13 अप्रैल, 2018 के आदेश के तहत मैसर्स कॉस्टल एनर्जी लिमिटेड 45.21 लाख रुपये के रूप में 1% का जुर्माना लगाया गया था।

अपील की विषय वस्तुएं

अपीलकर्ता ने निम्नानुसार बताया है :

1. कि एसईजेड अधिनियम, 2005 की धारा 16 के तहत एलओए को रद्द करने के बाद यूनिट एसईजेड अधिनियम, 2005 के दायरे से बाहर थी और एसईजेड अधिनियम के तहत किसी भी कारण बताओ नोटिस को जारी करने की कोई गुंजाइश नहीं थी।
2. दिनांक 16.08.2017 के दूसरे कारण बताओ नोटिस के किसी भी संदर्भ पर विचार नहीं किया गया है जो अभी भी निपटान के लिए लंबित है।
3. यह आदेश दुविधायुक्त, एकपक्षीय और विधिक अशक्तता से प्रभावित है। यह अस्पष्ट, विधिक अपेक्षा के किसी आधार के बिना अस्थिर है।

4. नोटिसों के तहत सभी कार्रवाईयां राज्य की परिसीमा कानून के तहत निर्धारित समय सीमा से परे हैं और इसलिए परिसीमा के कारण अवरूद्ध हैं।
5. अधिनिर्णय प्राधिकारी स्वयं सहमत थे कि दी गई परिस्थिति के तहत यूनिट की निरंतरता अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में तकनीकी और विपणन योग्य स्थिति के लिए संभव नहीं थी और इस प्रकार उन्होंने एकतरफा और एकपक्षीय तरीके से, 5 साल के पहले ब्लॉक के पूरा होने से पहले, एलओए रद्द कर दिया था अपीलकर्ता ने निरस्तीकरण के उस आदेश के संबंध में कोई मुकदमा नहीं किया था। इसके बजाय उचित अनुमति ली थी और उचित शुल्क के भुगतान पर डीटीए बाजार में इनपुटों के स्टॉक का निपटान किया। ऐसी स्थिति में मामले के गुण और अपीलकर्ता के अनुरोध पर विचार किए बिना उनका आदेश असंगत और अस्वाभाविक तरीके से पारित किया गया है।
6. केवल किसी पक्ष को लिखित रूप में अभ्यावेदन प्रस्तुत करने के लिए सक्षम करके और उसके बाद सुनवाई में भाग लेने के अवसरों दिए बिना आदेश को पारित किया गया है।
7. जिस व्यक्ति द्वारा नोटिस जारी किया गया है उसी व्यक्ति द्वारा आदेश पारित किया गया है। इस प्रकार वर्तमान मामले में पक्षपात और स्वेच्छाचारिता बहुत अधिक विद्यमान हैं। यह निर्धारित किया गया कि कानूनी अभियोजक न्यायाधीश नहीं हो सकता। एलओए को रद्द करने से लेकर और नोटिस जारी करने तथा उसके बाद मूल रूप में आदेश पारित होने तक पूरी प्रक्रिया विकृत और अवैध है।
8. मामले की परिस्थितियों और यूनिट / यूनिट के प्रबंधन के सामने आने वाली वास्तविक कठिनाइयों को देखते हुए यह जुर्माना कठोर था।
9. उनकी ओर से सम्यक तत्परता की कोई कमी नहीं थी और न ही भुगतान से बचने का कोई इरादा था। वास्तव में, वित्तीय कठिनाइयों के बावजूद, उन्होंने दो किश्तों में 86,79,425/- रुपये के किराये की बकाया भारी रकम का भुगतान किया था। उनके विरुद्ध एनएफई की कार्यवाही पर निर्णय दिया गया है और अंतिम आदेश पारित किया गया है जिसमें 45.21 लाख रुपये के जुर्माने की मांग की गई थी, जिसका भुगतान उनके द्वारा कर दिया गया।

नियम क्या कहता है

(विदेशी व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992, 1992 का 22 की धारा 11)

इस अधिनियम के उपबंधों, नियमों, आदेशों और निर्यात एवं आयात नीति का उल्लंघन

11. (1) किसी भी व्यक्ति द्वारा कोई भी निर्यात या आयात इस अधिनियम के उपबंधों, उसके अधीन बनाए गए नियमों और किए गए आदेशों तथा निर्यात एवं आयात नीति के अनुसार ही किया जाएगा, अन्यथा नहीं।

(2) जहां कोई व्यक्ति इस अधिनियम के किसी उपबंध या उसके अधीन बनाए गए किन्हीं नियमों या किए गए आदेशों अथवा निर्यात एवं आयात नीति के उल्लंघन में कोई निर्यात या आयात करेगा या उसे

करने के लिए दुष्प्रेरण करेगा या प्रयत्न करेगा, वहां वह, दस हजार रुपए से अन्यून और उस माल या सेवा या प्रौद्योगिकी के, जिसेक बारे में उल्लंघन किया गया है, या करने का प्रयत्न किया गया है, मूल्य के पांच गुना से अनधिक की, इनमें से जो भी अधिक हो, की शास्ति का भागी होगा।

(3) जहां कोई व्यक्ति, न्यायनिर्णयन प्राधिकार द्वारा उसे सूचना दिए जाने पर, कोई उल्लंघन स्वीकार करता है वहां न्यायनिर्णयन प्राधिकार ऐसे वर्ग या वर्गों या मामलों में और ऐसी रीति से, जो विहित की जाए, उस व्यक्ति द्वारा संदत्त की जाने वाली रकम, परिनिर्धारण के रूप में अवधारित कर सकेगा।

(4) इस अधिनियम के अधीन अधिरोपित किसी शास्ति की, यदि वह किसी व्यक्ति द्वारा संदत्त नहीं की जाती है, भूमि राजस्व के बकाया के रूप में वसूल की जा सकेगी और संबंधित व्यक्ति, शास्ति का संदाय करने में विफल रहता है, के आयातकर्ता-निर्यातकर्ता कोड संख्यांक को न्यायनिर्णयन प्राधिकारी द्वारा शास्ति का संदाय किए जाने तक निलंबित किया जा सकेगा।

(5) जहां इस अधिनियम के किसी उपबंध या उसके अधीन बनाए गए किन्हीं नियमों या किए गए आदेशों या निर्यात एवं आयात नीति का कोई उल्लंघन किया गया है, किया जा रहा है या करने का प्रयत्न किया जाता है, वहां किसी पैकेज, आवेष्टक या पात्र और किसी प्रवहण सहित माल, ऐसी अपेक्षाओं और शर्तों के अधीन रहते हुए जो विहित की जाएं, न्यायनिर्णयन प्राधिकार द्वारा अधिहरण किए जाने के दायित्वाधीन होगा।

(6) उपधारा (5) के अधीन अधिहृत माल या प्रवहण को न्यायनिर्णयन प्राधिकारी द्वारा, यथास्थिति, माला या प्रवहण के बाजार मूल्य के बराबर मोचन प्रभारों का संबद्ध व्यक्ति द्वारा संदाय करने पर, ऐसी रीति से और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जो विहित की जाए, निर्मुक्त किया जा सकेगा।

(विदेशी व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992, 1992 का 22 की धारा 13)

न्यायनिर्णयन प्राधिकारी

13. इस अधिनियम के अधीन महानिदेशक द्वारा या ऐसी सीमाओं के अधीन रहते हुए जो विनिर्दिष्ट की जाएं, किसी ऐसे अन्य अधिकारी द्वारा, जिसे केंद्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत करे, कोई शास्ति अधिरोपित की जा सकेगी या कोई अधिहरण न्यायनिर्णीत किया जा सकेगा।

एसईजेड अधिनियम, 2005 की धारा 16 उद्यमी के प्रदान किए मंजूरी पत्र को निरस्त करना

एसईजेड अधिनियम, 2005 की धारा 16 (1) यह प्रावधान करती है कि अनुमोदन समिति किसी भी समय, यदि उसके पास यह विश्वास करने का कोई कारण या आधार है कि उद्यमी ने शर्तों एवं नियमों या अपनी बाध्यताओं जिनके अधीन उद्यमी को मंजूरी पत्र प्रदान किया गया, में से किसी का लगातार उल्लंघन किया है तो मंजूरी पत्र निरस्त कर सकती है।

परंतु यह कि उद्यमी को सुनवाई का तर्कसंगत अवसर प्रदान किए गए बगैर ऐसा कोई मंजूरी पत्र निरस्त नहीं किया जाएगा।

अपील विचार करने के लिए अनुमोदन बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत है (अनुबंध 1 और 2)।

84.8 (iii) : गाला नंबर 102 एवं 104, एसडीएफ 8, एसईईपीजेड एसईजेड के लिए एलओए को निरस्त करने के लिए एसईईपीजेड एसईजेड द्वारा पारित खंडन आदेश दिनांक 1 मई 2018 और 21 मई 2018 को अपास्त करने का अनुरोध करते हुए मैसर्स फलालेस ज्वैल्स की अपील

84 8 (iv) : गाला नंबर 301, एसडीएफ 8, एसईईपीजेड एसईजेड के लिए एलओए को निरस्त करने के लिए एसईईपीजेड एसईजेड द्वारा पारित खंडन आदेश दिनांक 1 मई 2018 और 21 मई 2018 को अपास्त करने का अनुरोध करते हुए मैसर्स मलहार ज्वैल्स की अपील

84.8 (v) गाला : नंबर 401, 402, 403 एवं 404, एसडीएफ 8, एसईईपीजेड एसईजेड के लिए एलओए को निरस्त करने के लिए एसईईपीजेड एसईजेड द्वारा पारित खंडन आदेश दिनांक 1 मई 2018 और 21 मई 2018 को अपास्त करने का अनुरोध करते हुए मैसर्स प्योर गोल्ड ज्वैल्स एंड ड्यमंड्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की अपील

84.8 (vi) : गाला नंबर 202 एवं 204, एसडीएफ 8, एसईईपीजेड एसईजेड के लिए एलओए को निरस्त करने के लिए एसईईपीजेड एसईजेड द्वारा पारित खंडन आदेश दिनांक 1 मई 2018 और 21 मई 2018 को अपास्त करने का अनुरोध करते हुए मैसर्स विजय एक्सपोर्ट्स की अपील

84.8 (vii) : गाला नंबर 02, एसडीएफ 8, एसईईपीजेड एसईजेड के लिए एलओए को निरस्त करने के लिए निर्णय के संबंध में यूनिट अनुमोदन समिति की बैठक दिनांक 2 मई 2018 के कार्यवृत्त तथा खंडन आदेश दिनांक 1 मई 2018 को अपास्त करने का अनुरोध करते हुए मैसर्स लिमिटेड ज्वैलरी की अपील

आदेश जिसके विरुद्ध अपील की गई है, का सारांश

एसआईडीई योजना, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के तहत अधिकार प्राप्त समिति ने दिनांक 01 फरवरी, 2011 को एसआईडीई स्कीम के तहत भारत सरकार के अंशदान के रूप में 19.89 करोड़ रुपये के साथ 23.40 करोड़ रुपये की कुल अनुमोदित लागत से एसईईपीजेड एसईजेड में आरसीसी (प्रबलित सीमेंट कंक्रीट) के साथ एक नई मानक डिजाइन फैक्ट्री (एसडीएफ) -VIII टावर के निर्माण की परियोजना को मंजूरी दी थी। एसईईपीजेड एसईजेड ने एमआईडीसी को सूचित किया था कि यह भवन आईटी यूनिटों के अलावा अन्य विनिर्माण यूनिटों को अवस्थापित करने के लिए थी। एमआईडीसी ने सूचित किया कि

एसईईपीजेड एसईजेड के मूल अनुरोध के अनुसार, टॉवर में रत्न और आभूषण यूनिटें प्रस्तावित नहीं थीं और टॉवर का निर्माण केवल इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर (ईएच) यूनिटों के लिए किया गया था।

भवन के डिजाइन को 51.45 करोड़ रुपये की लागत से आरसीसी स्ट्रक्चर से बदलकर प्री-फैब्रिकेटेड कम्पोजिट स्टील स्ट्रक्चर (प्री-इंजीनियरिंग बिल्डिंग) कर दिया गया। एसईईपीजेड एसईजेड ने समापन प्रमाणपत्र (बीसीसी) और अधिभोगिता प्रमाणपत्र (ओसी) प्राप्त किए बिना, दिनांक 09 मई, 2017 के अपने विज्ञापन के माध्यम से रत्न और आभूषण / इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर यूनिटों के लिए नए टॉवर में एसडीएफ-VIII में यूनिटों की स्थापना के लिए आवेदन आमंत्रित किए।

स्थान के आवंटन के लिए आवेदनों की जांच के लिए जून 2017 में, एसईईपीजेड एसईजेड के अधिकारियों की एक समिति का गठन किया गया था, जिसने पाया कि प्राप्त किए गए 31 आवेदनों में से 28 आवेदन पत्र थे जिनमें रत्न और आभूषण क्षेत्र से 27 और / इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर क्षेत्र से केवल 1 आवेदन शामिल थे। समिति ने सिफारिश की कि एसडीएफ-VIII में नई यूनिटों के संबंध में अनंतिम आवंटन से पहले, बीसीसी, ओसी और फायर एनओसी प्राप्त करने के पहलू पर ध्यान दिया जा सकता है।

तत्पश्चात, दिनांक 04 जुलाई, 2017 को विकास आयुक्त, एसईईपीजेड एसईजेड ने आवंटन को मंजूरी दे दी तथा 27 रत्न एवं आभूषण और 1 इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर यूनिट को इस शर्त के साथ कि कब्जा एमआईडीसी से बीसीसी / फायर एनओसी / ओसी की प्राप्ति के बाद ही दिया जाएगा, यूएसी से अनुमोदन के अध्यक्षीन अनंतिम आवंटन किया गया।

दिनांक 11 जुलाई, 2017 को आयोजित यूएसी की 115वीं बैठक में प्रस्ताव रखे गए थे और समिति ने सभी 28 यूनिटों को एलओए मंजूर कर दिया था। इसी दौरान, नए विकास आयुक्त ने कार्यभार ग्रहण किया और दिनांक 18 जुलाई, 2017 को आयोजित की गई यूएसी की अगली बैठक में दिनांक 11 जुलाई, 2017 को आयोजित की गई यूएसी की पूर्ववर्ती बैठक की तारीख की पुष्टि की और दिनांक 29 नवंबर, 2017 को एक विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें यह सुझाव दिया गया कि एलओए कुछेक मानक मानदंडों, निवेश के लिए न्यूनतम सीमा, रोजगार, कंपनी के लिए निर्यात की मात्रा आदि के आधार पर दिया जाना चाहिए।

एमआईडीसी ने बताया कि रत्न एवं आभूषण यूनिटों की स्थापना के लिए भवन के उस चरण में यूनिटों को कब्जे में देना उचित नहीं था क्योंकि इससे भवन के साथ ही यूनिटों में कर्मचारियों को जटिलता और सुरक्षा संबंधी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। एमआईडीसी ने रत्न एवं आभूषण यूनिटों को किए गए अनंतिम आवंटन रद्द करने की भी सिफारिश की। वाणिज्य विभाग को विकास आयुक्त, एसईईपीजेड के यूनिटों पर कब्जा करने की अनुमति नहीं देने संबंधी निर्णय के विरुद्ध शिकायतें / सार्वजनिक शिकायतें

प्राप्त हुई। विकास आयुक्त, एसईईपीजेड, एसईजेड ने यूनिटों को किए गए आवंटन को रद्द करने की सिफारिश की।

वाणिज्य विभाग में सक्षम प्राधिकारी ने अनंतिम आवंटन रद्द करने और जिम्मेदार अधिकारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू करने का अनुमोदन दिया। एसईईपीजेड एसईजेड को आवंटन रद्द करने के निर्णय के बारे में सूचित किया गया और बाद में एसईईपीजेड एसईजेड द्वारा दिनांक 01 मई, 2018 को अनंतिम आवंटन रद्द कर दिया गया। इसके अलावा, दिनांक 02 मई, 2018 को आयोजित की गई यूएसी की 124वीं बैठक में, समिति ने रद्द करने की सिफारिश की और दिनांक 21.05.2018 को औपचारिक आदेश जारी किए गए।

यह मुद्दा वाणिज्य विभाग के सतर्कता प्रभाग द्वारा की जा रही सतर्कता जांच के अधीन है।

अपील की विषय वस्तुएं

अपीलकर्ता ने निम्नानुसार बताया है :

कि किसी भी ठोस कारण के बिना अनंतिम आवंटन के एलओए को रद्द करने के आदेश में यह स्पष्ट नहीं है कि यूएसी एसईजेड अधिनियम / नियमों में किसी प्रावधान के बिना अपने अध्यक्ष के परिवर्तन के साथ अपने स्वयं के निर्णय की समीक्षा कैसे कर सकता है और यह स्पष्ट है कि अनुवर्ती यूएसी ने दुर्भावपूर्ण इरादे से किसी दबाव / निग्रह / अनुचित प्रभाव में कार्य किया है। निरस्तीकरण आदेश अनुचरित है और व्याख्यात्मक नहीं है।

यह कि सुनवाई का अवसर प्रदान किए बगैर प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया गया। यह दावा किया गया है कि दिनांक 02.05.2018 को अनुवर्ती यूएसी द्वारा की गई कार्रवाई अत्यधिक कालातीत है। अपीलकर्ताओं ने डॉ० के डी देसाई द्वारा जारी की गई व्यवहार्यता रिपोर्ट, जिसमें कहा गया है कि वर्तमान नवनिर्मित टॉवर में रत्न और आभूषण क्षेत्र को यूनिटों को आवंटित करना व्यवहार्य नहीं होगा, जिसके आधार पर विकास आयुक्त ने एलओए रद्द करने की सिफारिश की थी, की प्रामाणिकता को चुनौती दी है।

कि वर्ष 2002-2003 और वर्ष 2003-2004 में, आईटी यूनिटों को अवस्थापित करने के लिए निर्मित किए गए एसईईपीजेड ++ टॉवर । और II नामक एक भवन का उपयोग रत्न और आभूषण विनिर्माण यूनिटों को अवस्थापित करने के लिए किया गया क्योंकि बिना किसी संरचनात्मक परिवर्तन के आईटी यूनिटों के लिए कोई ग्राहक नहीं था।

नियम क्या कहता है

एसईजेड अधिनियम, 2005 की धारा 15 यूनिट की स्थापना :

एसईजेड अधिनियम 2005 की धारा 15 (3) यह प्रावधान करती है कि अनुमोदन समिति ऐसी शर्तों एवं नियमों जिसे वह लगाना उपयुक्त समझे, के अधीन संशोधन के साथ या संशोधन के बगैर प्रस्ताव अनुमोदित कर सकती है अथवा उपधारा 8 के प्रावधानों के अनुसरण में प्रस्ताव को अस्वीकार कर सकती है।

परंतु यह कि प्रस्ताव में सुधार या अस्वीकृति के मामले में अनुमोदन समिति संबंधित व्यक्ति को सुनवाई का तर्कसंगत अवसर प्रदान करेगी और कारणों का उल्लेख करने के बाद प्रस्ताव को संशोधित करेगी या अस्वीकार करेगी।

एसईजेड अधिनियम, 2005 की धारा 16 उद्यमी के प्रदान किए मंजूरी पत्र को निरस्त करना

एसईजेड अधिनियम, 2005 की धारा 16 (1) यह प्रावधान करती है कि अनुमोदन समिति किसी भी समय, यदि उसके पास यह विश्वास करने का कोई कारण या आधार है कि उद्यमी ने शर्तों एवं नियमों या अपनी बाध्यताओं जिनके अधीन उद्यमी को मंजूरी पत्र प्रदान किया गया, में से किसी का लगातार उल्लंघन किया है तो मंजूरी पत्र निरस्त कर सकती है।

परंतु यह कि उद्यमी को सुनवाई का तर्कसंगत अवसर प्रदान किए गए बगैर ऐसा कोई मंजूरी पत्र निरस्त नहीं किया जाएगा।

अपील विचार करने के लिए अनुमोदन बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत है (अनुबंध 1 -7)।

84.8 (viii) आयातित पुराने एवं प्रयुक्त कपड़ों को अलग करने / पुनः प्रोसेस करने के लिए विनिर्माण यूनिट स्थापित करने के प्रस्ताव को अस्वीकृत करने के लिए यूनिट अनुमोदन समिति की 129वीं बैठक दिनांक 17 मई 2018 के निर्णय के विरुद्ध मैसर्स एप्पल टेक्सटाइल जो केएएसईजेड की यूनिट है, की अपील दिनांक 21 जून 2018

आदेश जिसके विरुद्ध अपील की गई है, का सारांश

आयातित पुराने और प्रयुक्त कपड़ों के विनिर्माण / पृथक्करण / पुनर्संस्करण के लिए यूनिट स्थापित करने के लिए मैसर्स एप्पल टेक्सटाइल्स का प्रस्ताव दिनांक 17 मई, 2018 को आयोजित की गई यूएसी की 129वीं बैठक के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। प्रस्ताव को यूएसी द्वारा अस्वीकार कर दिया गया क्योंकि यह नोट किया गया कि प्रस्तावित गतिविधि एसईजेड नियम, 2006 के नियम 18 (4) (ग) के दायर के तहत आती है, क्योंकि आयातित वस्तुओं में पुराने और प्रयुक्त कपड़े जैसी पहले से उपयोग की

गई वस्तुएं और उनका पुनर्संस्करण शामिल हैं, जो किसी भी नई यूनिट की स्थापना के लिए अनुमेय नहीं हैं।

अपील की विषय वस्तुएं

अपीलकर्ता ने कहा है कि प्रस्तावित परियोजना निर्यात के उद्देश्य से आयात की गतिविधि के लिए है।

नियम क्या कहता है

एसईजेड नियमावली, 2006 का नियम 18: विशेष आर्थिक क्षेत्र में यूनिट की स्थापना के प्रस्तावों पर विचार करना :

एसईजेड नियमावली, 2006 के नियम 18(4)(ग) के अनुसार, यूनिट के अधिकृत प्रचालनों को गारमेंट या प्रयुक्त कपड़ों या गौण टेक्सटाइल सामग्री एवं अन्य रिसाइकलेबल टेक्सटाइल सामग्री की क्लिपिंग या रैग या औद्योगिक वाइपर या शॉडी वुल या यार्न या कंबल या शाल में रिप्रोसेसिंग के व्यवसाय तक सीमित किया जाए।

बशर्ते कि मौजूदा यूनिट के लिए मंजूरी पत्र की अवधि में विस्तार का निर्णय बोर्ड द्वारा लिया जाएगा।

अपील विचार करने के लिए अनुमोदन बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत है (अनुबंध 8)।

84.8 (ix) प्लास्टिक अपशिष्ट तथा आयातित पुराने एवं प्रयुक्त कपड़ों की वेयरहाउसिंग यूनिट स्थापित करने के प्रस्ताव को अस्वीकृत करने के लिए यूनिट अनुमोदन समिति की 131वीं बैठक दिनांक 10 जुलाई 2018 के निर्णय के विरुद्ध मैसर्स ऐप्पल इंडस्ट्री जो केएएसईजेड की यूनिट है, की अपील दिनांक 17 जुलाई 2018

आदेश जिसके विरुद्ध अपील की गई है, का सारांश

एसईजेड नियमावली, 2006 के नियम 18(5) के तहत, आयातित पुराने और प्रयुक्त कपड़ों के विनिर्माण / पृथक्करण / पुनर्संस्करण के लिए यूनिट स्थापित करने के लिए मैसर्स ऐप्पल टेक्सटाइल्स का प्रस्ताव दिनांक 10 जुलाई, 2018 को आयोजित की गई यूएसी की 131वीं बैठक के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। प्रस्ताव को उचित विचार-विमर्श के बाद यूएसी द्वारा इस आधार पर अस्वीकार कर दिया गया कि प्रस्तावित गतिविधि एसईजेड नियम, 2006 के नियम 18 (4) के दायर के तहत आती है, क्योंकि आयातित वस्तुओं में पुराने और प्रयुक्त कपड़े एवं प्लास्टिक अपशिष्ट स्क्रेप जैसी पहले से उपयोग की गई वस्तुएं और उनकी रिसाइक्लिंग शामिल हैं, जो एसईजेड में किसी भी नई यूनिट की स्थापना के लिए

अनुमति नहीं है और नियम 18(5) के अनुसार भी वस्तुओं के विनिर्माण के लिए ऐसे प्रसंस्करण की अनुमति नहीं है।

अपील की विषय वस्तुएं

यूनिट विदेशी ग्राहकों की ओर से निर्यात के उद्देश्य से आयात का प्रस्ताव करती है और इसके 100 प्रतिशत का निर्यात करेगी।

नियम क्या कहता है

एसईजेड नियमावली, 2006 का नियम 18: विशेष आर्थिक क्षेत्र में यूनिट की स्थापना के प्रस्तावों पर विचार करना :

एसईजेड नियमावली, 2006 के नियम 18(4)(क) और (ग) में यह प्रावधान है कि प्लास्टिक स्ट्रैप अथवा अपशिष्ट और प्रयुक्त कपड़ों की रिसाइक्लिंग संबंधी किसी भी प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जाएगा।

बशर्ते कि मौजूदा यूनिट के लिए मंजूरी पत्र की अवधि में विस्तार का निर्णय बोर्ड द्वारा लिया जाएगा।

एसईजेड नियमावली, 2006 के नियम 18 (5) में यह प्रावधान है कि मुक्त व्यापार एवं भांडागारण क्षेत्र में यूनिटों या अन्य विशेष आर्थिक क्षेत्र में स्थापित मुक्त व्यापार एवं भांडागारण क्षेत्र में यूनिटों को स्वामी के अनुदेशों के अनुसार डिस्पैच के लिए विदेशी आपूर्तिकर्ता को भेजने के कारण माल को रखने की अनुमति होगी और किसी प्रसंस्करण के बगैर लेबलिंग, पैकिंग या रिपैकिंग के साथ या बगैर व्यापार की अनुमति होगी।

परंतु यह कि भंडारण के प्रयोजनार्थ प्रशीतन और पूर्णरूपेण विकृत या अर्द्ध-विकृत किटों को संयोजित करने के लिए भी ऐसे कार्यकलाप करने वाली मुक्त व्यापार और भांडागारण यूनिटों को अनुज्ञात किया जाएगा।

परंतु यह भी कि ये यूनिटें उनके द्वारा आयातित माल का पुनः विक्रय या पुनः बीजकीकरण या पुनः निर्यात भी कर सकेंगी।

परंतु यह भी कि मुक्त व्यापार और भांडागारण जोन की किसी यूनिट द्वारा सभी संव्यवहार संपरिवर्तनीय विदेशी मुद्रा में ही होंगे।

अपील विचार करने के लिए अनुमोदन बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत है (अनुबंध 9)।

84.8 (x) प्लास्टिक के प्री-प्रोसेस्ड एगलोमरेट्स / ग्रेन्यूल के विनिर्माण एवं ट्रेडिंग के लिए यूनिट स्थापित करने के प्रस्ताव को अस्वीकृत करने के लिए यूनिट अनुमोदन समिति की 129वीं बैठक दिनांक 17 मई 2018 के निर्णय के विरुद्ध मैसर्स ऐप्पल एंटरप्राइजेज जो केएसईजेड की यूनिट है, की अपील दिनांक 21 जून 2018

आदेश जिसके विरुद्ध अपील की गई है, का सारांश

प्लास्टिक के प्री-प्रोसेस्ड एगलोमरेट्स / ग्रेन्यूल के विनिर्माण एवं व्यापार के लिए यूनिट स्थापित करने के लिए मैसर्स ऐप्पल टेक्सटाइल्स का प्रस्ताव दिनांक 17.05.2018 को आयोजित की गई यूएसी की 129वीं बैठक के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। प्रस्ताव को उचित विचार-विमर्श के बाद यूएसी द्वारा इस आधार पर अस्वीकार कर दिया गया कि प्रस्तावित गतिविधि एसईजेड नियम, 2006 के नियम 18 (4) (क) के दायर के तहत आती है, क्योंकि आयातित वस्तुओं में पुराने और प्रयुक्त कपड़े तथा प्लास्टिक अपशिष्ट स्क्रेप जैसी पहले से उपयोग की गई वस्तुएं और उनकी रीसाइक्लिंग शामिल हैं, जो किसी भी नई यूनिट की स्थापना के लिए अनुमेष नहीं है।

अपील की विषय वस्तुएं

यूनिट निर्यात के उद्देश्य से आयात का प्रस्ताव करती है।

नियम क्या कहता है

एसईजेड नियमावली, 2006 का नियम 18: विशेष आर्थिक क्षेत्र में यूनिट की स्थापना के प्रस्तावों पर विचार करना :

एसईजेड नियमावली, 2006 के नियम 18(4)(क) में यह प्रावधान है कि प्लास्टिक स्क्रेप अथवा अपशिष्ट की रीसाइक्लिंग संबंधी किसी भी प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जाएगा।

बशर्ते कि मौजूदा यूनिट के लिए मंजूरी पत्र की अवधि में विस्तार का निर्णय बोर्ड द्वारा लिया जाएगा।

अपील विचार करने के लिए अनुमोदन बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत है (अनुबंध 10)।

84. 8 (xi) : पेट बाटल अपशिष्ट से प्लास्टिक के प्री-प्रोसेस्ड क्रशिंग / ग्रेन्यूल के विनिर्माण के लिए यूनिट स्थापित करने के प्रस्ताव को अस्वीकृत करने के लिए यूनिट अनुमोदन समिति की 129वीं बैठक

दिनांक 17 मई 2018 के निर्णय के विरुद्ध मैसर्स गुरुजी इंटरनेशनल जो केएसईजेड की यूनिट है, की अपील दिनांक 22 जून 2018

आदेश जिसके विरुद्ध अपील की गई है, का सारांश

पेट बोटल अपशिष्ट से प्लास्टिक के प्री-प्रोसेस्ड क्रशिंग / ग्रेन्यूल के विनिर्माण के लिए यूनिट स्थापित करने के लिए मैसर्स ऐप्पल टेक्सटाइल्स का प्रस्ताव दिनांक 17.05.2018 को आयोजित की गई यूएसी की 129वीं बैठक के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। प्रस्ताव को उचित विचार-विमर्श के बाद यूएसी द्वारा इस आधार पर अस्वीकार कर दिया गया कि आईटीसी (एचएस) के तहत प्लास्टिक बोटल अपशिष्ट वर्तमान में आयात के लिए निषिद्ध वस्तुओं की श्रेणी में आते हैं और प्रस्ताव, जिसमें मुख्य रूप से प्लास्टिक अपशिष्ट और स्क्रेप शामिल हैं, पर एसईजेड नियम, 2006 के नियम 18 (4) (क) के संदर्भ में विचार नहीं किया जा सकता है।

अपील की विषय वस्तुएं

यूनिट निर्यात के उद्देश्य से आयात का प्रस्ताव करती है। प्रस्तावित यूनिट एशिया, ऑस्ट्रेलिया और वियतनाम से प्लास्टिक की बोटलों के आयात के लिए है और सफाई / पृथक्करण और मशीन में पेटाई के बाद ग्रेन्यूल बनाने के बाद, इसे निर्यात किया जाएगा। यूनिट 100% निर्यात का प्रस्ताव करती है और कोई डीटीए बिक्री नहीं की जाएगी।

नियम क्या कहता है

एसईजेड नियमावली, 2006 का नियम 18: विशेष आर्थिक क्षेत्र में यूनिट की स्थापना के प्रस्तावों पर विचार करना :

एसईजेड नियमावली, 2006 के नियम 18(4)(क) में यह प्रावधान है कि प्लास्टिक स्क्रेप अथवा अपशिष्ट की रिसाइक्लिंग संबंधी किसी भी प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जाएगा।

बशर्ते कि मौजूदा यूनिट के लिए मंजूरी पत्र की अवधि में विस्तार का निर्णय बोर्ड द्वारा लिया जाएगा।

अपील विचार करने के लिए अनुमोदन बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत है (अनुबंध 11)।

84. 8 (xii) : (i) फिल्टर तंबाकू (ii) हुक्का तंबाकू पेस्ट (जुर्का) (iii) फ्लेवर्ड हुक्का तंबाकू (मोसेल) (iv) रेडीमेड खैनी (v) जाफरानी जर्दा (vi) स्पिट तंबाकू (vii) माउथ फ्रेशनर (viii) इशंसियल एवं कैरियर ऑयल (ix) इंडिया इत्तर एवं फ्रैगरेंस और (x) एचएस कोड 2403 के तहत विभिन्न प्रकार के अरेका नट

के निर्माण एवं निर्यात का कार्य करने के लिए एक नई यूनिट स्थापित करने के प्रस्ताव को अस्वीकार करने के लिए यूनिट अनुमोदन समिति के आदेश दिनांक 14 जून 2018 के विरुद्ध मैसर्स एमआरए फ्रैगरेसेज प्राइवेट लिमिटेड जो एनएसईजेड की यूनिट है, की अपील दिनांक 16 जुलाई 2018

आदेश जिसके विरुद्ध अपील की गई है, का सारांश

पांच वर्षों की अवधि के दौरान 13500 लाख रुपये के प्रक्षेपित निर्यात और 13500 लाख की एनएफई आय के साथ (i) फिल्टर तंबाकू (ii) हुक्का तंबाकू पेस्ट (जुर्का) (iii) फ्लेवर्ड हुक्का तंबाकू (मोसेल) (iv) रेडीमेड खैनी (v) जाफरानी जर्दा (vi) स्पिट तंबाकू (vii) माउथ फ्रेशनर (viii) इशेंसियल एवं कैरियर ऑयल (ix) इंडिया इत्तर एवं फ्रैगरेस और (x) एचएस कोड 2403 के तहत विभिन्न प्रकार के अरेका नट के विनिर्माण एवं निर्यात का कार्य करने के लिए एक नई यूनिट स्थापित करने के लिए मैसर्स एमआरए फ्रैगरेस प्राइवेट लिमिटेड के प्रस्ताव को दिनांक 06.06.2018 को आयोजित की गई अनुमोदन समिति की बैठक के समक्ष प्रस्तुत किया गया था।

अनुमोदन समिति ने, उचित विचार-विमर्श के बाद, प्रस्ताव को एसईजेड अधिनियम, 2005 की धारा 15(3) और एसईजेड नियमावली, 2006 के नियम 18 के संदर्भ में इस आधार पर अस्वीकार कर दिया कि :

- (i) चांदनी चौक स्थित फर्म के कार्यालय और पंजीकृत कार्यालय का पता एक आवासीय पता था, जिसमें तथ्यों की घोर गलतबयानी की गई है और एनएसईजेड में इस यूनिट की स्वीकृति के लिए मिथ्या जानकारी प्रदान की गई है।
- (ii) आवेदक कंपनी को हाल ही में दिसंबर, 2017 में निगमित किया गया है और इसने प्रस्तावित वस्तुओं का कोई विनिर्माण और निर्यात नहीं किया है।
- (iii) विकास आयुक्त (सीमा शुल्क) द्वारा प्रतिकूल सत्यापन रिपोर्ट प्रदान की गई थी। कंपनी के प्रमोटरों के परिचालन जमीनी वास्तविकताओं से मेल नहीं खाते हैं।
- (iv) वित्तीय व्यवहार्यता के लिए आवेदक मैसर्स नॉक आउट फ्रैग्रेस प्राइवेट लिमिटेड के संचालन पर निर्भर थे। आवेदक ने वर्ष 2016-17 के लिए केवल 5758/- रुपये पर लाभ दिखाया था और अगले पांच वर्षों में 13500 लाख रुपये का निर्यात हासिल करने का अनुमान लगा रहा है। स्पष्ट रूप से यह असंगत है।
- (v) पांच वर्षों में 135 करोड़ रुपये के निर्यात कारोबार को प्राप्त करने के लिए संबंधित क्षेत्र में अनुभव की कमी।
- (vi) यूनिट बेमेल उत्पादों के विनिर्माण की मंजूरी मांग रही है जो वाणिज्य विभाग के अनुदेश संख्या 69 के विरुद्ध है।

अपील की विषय वस्तुएं

अपीलकर्ता ने कहा है कि अनुमोदन समिति ने सुनवाई का उचित अवसर प्रदान नहीं किया है और अस्वीकृति आदेश लगभग एकपक्षीय है। अस्वीकृति के आधार तथ्यों / विषय-वस्तु के विरोधाभासी हैं तथा प्राकृतिक न्याय और निष्पक्षता की अवधारणा का समर्थन नहीं किया गया। यह विवादास्पद आदेश निर्यात को बढ़ावा देने के लिए एसईजेड संबंधी सरकार की नीति के विरुद्ध है।

नियम क्या कहता है

एसईजेड अधिनियम, 2005 की धारा 15 यूनिट की स्थापना :

एसईजेड अधिनियम 2005 की धारा 15 (3) यह प्रावधान करती है कि अनुमोदन समिति ऐसी शर्तों एवं नियमों जिसे वह लगाना उपयुक्त समझे, के अधीन संशोधन के साथ या संशोधन के बगैर प्रस्ताव अनुमोदित कर सकती है अथवा उपधारा 8 के प्रावधानों के अनुसरण में प्रस्ताव को अस्वीकार कर सकती है।

परंतु यह कि प्रस्ताव में सुधार या अस्वीकृति के मामले में अनुमोदन समिति संबंधित व्यक्ति को सुनवाई का तर्कसंगत अवसर प्रदान करेगी और कारणों का उल्लेख करने के बाद प्रस्ताव को संशोधित करेगी या अस्वीकार करेगी।

वाणिज्य विभाग के अनुदेश संख्या 69 के अनुसार, सब-यूनिटों की स्थापना के लिए लाइसेंस के ब्राड बैंडिंग और विभाजन की अनुमति नहीं होगी।

अपील विचार करने के लिए अनुमोदन बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत है (अनुबंध 12)।

84. 8 (xiii) : रामानुजन आईटी सिटी कैंपस में विज्ञापन की गतिविधियों को अनुमत करने के अनुरोध को अस्वीकार करने के लिए विकास आयुक्त, एमईपीजेड के आदेश दिनांक 28 जून 2018 के विरुद्ध मैसर्स ट्रिल इनफोपार्क लिमिटेड की अपील दिनांक 3 अगस्त 2018

आदेश जिसके विरुद्ध अपील की गई है, का सारांश

चेन्नई, तमिलनाडु में 10.115 हेक्टेयर के क्षेत्र में आईटी / आईटीईएस क्षेत्र के लिए एक क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड की स्थापना के लिए मैसर्स ट्रिल इनफोपार्क लिमिटेड, विकासक को दिनांक 20 अगस्त, 2008 को एलओए प्रदान किया गया था। दिया गया था। यह जोन क्रियाशील है और 23.74 एकड़ के प्रसंस्करण क्षेत्र में और 1.53 एकड़ के गैर-प्रसंस्करण क्षेत्र में विभाजित किया गया है। प्रसंस्करण क्षेत्र का विकास 6 आईटी भवनों के साथ पूरा हुआ है, जो 4.5 मिलियन वर्गफीट में स्थित हैं और प्रसंस्करण क्षेत्र

में लगभग 35 यूनिटें क्रियाशील हैं। जोन में किया गया निवेश लगभग 4000 करोड़ रुपये है और विभिन्न क्षमताओं में लगभग 40,000 व्यक्ति कार्यरत हैं।

अपीलकर्ता ने कहा कि जोन में यूनिटों के 40,000 नियमित कर्मचारियों के अलावा, लगभग 5000 व्यक्ति मासिक रूप से भी जोन का दौरा करते हैं। अपीलकर्ता ने कहा कि लगभग सभी कर्मचारी और साथ ही साथ जोन में आने वाले लोग उच्च व्यय क्षमता वाले व्यक्ति हैं और इस संबंध में अपीलकर्ता को एक विज्ञापन एजेंसी से प्रस्ताव मिला है कि जोन में सार्वजनिक स्थानों को बैनर और बिल बोर्ड के प्रदर्शनों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है और यह भी कहा है कि यूनिटों की गतिविधियों में बाधा डाले बिना अपीलकर्ता को और जीएसटी के रूप में सरकार को राजस्व सृजन करते हुए विज्ञापनकर्ताओं से किराया भी वसूला जा सकता है। इकाइयों की गतिविधियों को बाधा पहुंचाये बिना जब अपीलार्थी के राजस्व उत्पन्न करते समय और साथ ही जीएसटी के रूप में सरकार को राजस्व प्राप्त होता है।

अपील की विषय वस्तुएं

यूएसी की बैठक में अपीलकर्ता का अनुरोध प्रस्तुत किए बिना, विकास आयुक्त ने एकतरफा रूप से दिनांक 28.06.2018 के पत्र के माध्यम से अपीलकर्ता के अनुरोध को इस आधार पर अनुमति के लिए अस्वीकार कर दिया कि वर्तमान अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों में अपीलकर्ता के अनुरोध पर विचार करने का कोई प्रावधान नहीं है। अपीलकर्ता इस अपील को एसईजेड अधिनियम, 2005 की धारा 9 (2) (ख) के साथ पठित धारा 9 (2) (छ) के तहत अनुमोदन बोर्ड को प्रदत्त शक्तियों के अनुसार अनुमोदन बोर्ड को पेश करता है। दिनांक 27.10.2006 की वाणिज्य विभाग की अधिसूचना के अनुसार शॉपिंग आर्केड / रिटेल स्पेस, आईटी/आईटीईएस के लिए अधिकृत प्रचालनों की सूची में शामिल है। बिल बोर्डों और बैनरों का प्रदर्शन एसईजेड अधिनियम और इसके तहत तथा इस संबंध में बनाए गए नियमों के किसी भी प्रावधान का अतिक्रमण नहीं करता है।

नियम क्या कहता है

एसईजेड अधिनियम, 2005 की धारा 9 बोर्ड के कर्तव्य, शक्तियां और कृत्य:

(ख) विकासक द्वारा किसी विशेष आर्थिक जोन में की जाने वाली प्राधिकृत संक्रियाओं का अनुमोदन करना;

.....

(छ) धारा 15 की उप-धारा (4) के अधीन की गई अपीलों को निपटाना;

अपील विचार करने के लिए अनुमोदन बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत है (अनुबंध 13)।

84. 8 (xiv) : ब्राड बैंडिंग के तहत अतिरिक्त उत्पादों के निर्माण को शामिल करने के लिए एलओए में संशोधन के अनुरोध को अस्वीकार करने के लिए यूनिट अनुमोदन समिति के आदेश दिनांक 23 जुलाई 2018 के विरुद्ध मैसर्स रेन सीआईआई कार्बन (विजाग) लिमिटेड की अपील दिनांक 2 अगस्त 2018

आदेश जिसके विरुद्ध अपील की गई है, का सारांश

मैसर्स रेन सीआईआई कार्बन (विजाग) लिमिटेड को अचुथपुरम ऐर रामबली मंडल, विशाखापत्तनम जिला स्थित मैसर्स एपीआईआईसी एसईजेड में कैलसाइंड पेट्रोलियम कोक और बाय-प्रोडक्ट इलेक्ट्रिक पावर के विनिर्माण के लिए एक यूनिट स्थापित करने के लिए दिनांक 14.09.2017 को एलओपी प्रदान किया गया था। यूनिट ने ब्राड बैंडिंग / विविधीकरण, जिस पर 29.06.2018 को आयोजित यूएसी की 60वीं बैठक द्वारा विचार किया गया था, के तहत अतिरिक्त उत्पादों (पेट्रो पिच आदि) के विनिर्माण को शामिल करने के लिए एक आवेदन प्रस्तुत किया। प्रस्ताव को निम्नलिखित आधारों पर अस्वीकार कर दिया गया: -

- (i) मौजूदा और प्रस्तावित गतिविधि के बीच कोई सामान्य उत्पादन सुविधा या कोई बैकवर्ड या फारवर्ड संबंध नहीं है।
- (ii) एसईजेड अधिनियम, 2005 की धारा 15 (3) के तहत नई परियोजना के लिए यूएसी द्वारा अधिरोपित किए जाने के लिए प्रस्तावित एनएफई शर्त का पालन करने के लिए यूनिट का इनकार
- (iii) क्योंकि नई परियोजना 18 महीने के बाद ही वाणिज्यिक उत्पादन शुरू करना है, अतः यूएसी प्रस्तावित नई गतिविधि को एलओए में शामिल नहीं कर सकती है क्योंकि आरम्भ में, यूएसी के पास एसईजेड नियमावली, 2006 के नियम 19(4) के अनुसार एक वर्ष से आगे यूनिट को स्थापित करने के लिए अनुमति देने की कोई शक्ति नहीं है।

अपील की विषय वस्तुएं

- (i) दो उत्पाद अर्थात् सीपीसी और पेट्रो पिच एनोइस विनिर्माण की मुख्य सामग्री हैं जो कि एल्युमिनियम स्मेल्टिंग प्रक्रिया में उपयोग की जाती हैं। यूनिट द्वारा प्रस्तावित उत्पाद गतिविधि अर्थात् केवल पेट्रोलियम से संबंधित उत्पादों की शोधन प्रक्रिया के उसी क्रम में विनिर्माण के लिए कंपनी की नीति के अनुरूप हैं। उनकी विनिर्माण नीति के अनुसार गतिविधियों की इन दो लाइनों को जोड़ने के लिए सहक्रिया मौजूद है।
- (ii) यूनिट ने एनएफई की किसी भी शर्त को मानने से इनकार नहीं किया है बशर्ते इस पर उसी एलओए के तहत माना जाए। इकाई ने संयुक्त एनएफई चार्ट पेश किया है जिसमें उन्होंने एसईजेड नियमों की आवश्यकता को पूरा करते हुए सकारात्मक एनएफई का स्पष्ट प्रक्षेपण प्रस्तुत किया है।

- (iii) नए प्रस्तावित संयंत्र के साथ तालमेल बनाने के लिए मौजूदा एलओए प्लांट पर निर्माण गतिविधि धीमी हो गई है। प्लांट और भवन का निर्माण पूरा करने तथा मशीनों की संस्थापना के लिए लगने वाले समय में एलओए संशोधन की तारीख से 16 महीने का समय लगेगा। प्रस्तावित संयुक्त निवेश 636.87 करोड़ रुपए के आसपास है। इस तरह के किसी भी बड़े निवेश के प्रस्ताव को एक या दो साल के भीतर पूरा नहीं किया जा सकता है।

नियम क्या कहता है

एसईजेड नियमावली, 2006 का नियम 19 : किसी यूनिट को अनुमोदन पत्र

अनुमोदन पत्र एक वर्ष के लिए विधिमान्य होगा जिस अवधि के भीतर यूनिट उत्पादन या सेवा या व्यापार या मुक्त व्यापार और भांडागारण क्रियाकलाप शुरू करेगी और यूनिट विकास आयुक्त को उत्पादन का क्रियाकलाप शुरू करने की तारीख सूचित करेगी।

परंतु उद्यमी के अनुरोध पर दो वर्ष से अनधिक आगे की अवधि के लिए विधिमान्य कारणों को लेखबद्ध करते हुए विकास आयुक्त द्वारा और समय बढ़ाया जा सकेगा।

परंतु यह भी कि विकास आयुक्त एक साल की अगली अवधि के लिए वैधता अवधि बढ़ा सकता है, परंतु शर्त यह है कि यूनिट की स्थापना से संबंधित निर्माण सहित दो तिहाई कार्य पूरा हो गया है और उद्यमी द्वारा किसी सनदी इंजीनियर से इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाता है।

परंतु यह भी कि अनुमोदन बोर्ड, उद्यमी द्वारा लिखित अनुरोध पर, और यह समाधान होने के बाद कि अतिरिक्त अवधि के लिए और विस्तार, जो कि एक बार में एक वर्ष से अधिक अवधि का नहीं होगा, प्रदान किया जाना आवश्यक और समीचीन है, अवधि में विस्तार कर सकेगा।

एसईजेड नियमावली, 2006 का नियम 22 प्राधिकृत प्रचालनों के लिए प्रत्येक विकासक और उद्यमी द्वारा प्राप्त की जाने वाली छूटों, वापसियों और रियायतों के लिए शर्तें

प्रत्येक यूनिट और विकासक वित्तीय वर्षवार उचित लेखे रखेगा और ऐसे लेखे जिनमें घरेलू टैरिफ क्षेत्र से आयातित या उपाप्त माल का मूल्य खपत या माल का उपभोग, माल का उत्पादन तथा उपोत्पाद, अवशिष्ट या स्क्रेप या अवशेष घरेलू टैरिफ क्षेत्रों में निर्यात, विक्राय या प्रदायों के रूप में विनिर्मित या उत्पादित माल का व्ययन या यथास्थिति विशेष आर्थिक जोन या निर्यातोन्मुख यूनिट या इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर प्रौद्योगिकी पार्क या साफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्ट यूनिटों या जैव प्रौद्योगिकी पार्क यूनिट, को स्थानांतरण और स्टॉक में बकाया को स्पष्ट रूप से दर्शित किया जाना चाहिए।

परंतु यह कि यूनिट विकासक ऐसे अभिलेख को सुसंगत वित्तीय वर्ष के अंत से सात वर्ष की अवधि के लिए रखेंगे।

परंतु यह भी कि व्यापार और विनिर्माण दोनों क्रियाकलापों में लगी यूनिट व्यापार और विनिर्माण क्रियाकलाप के लिए पृथक अभिलेख रखेंगी।

अपील विचार करने के लिए अनुमोदन बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत है (अनुबंध 14)।
